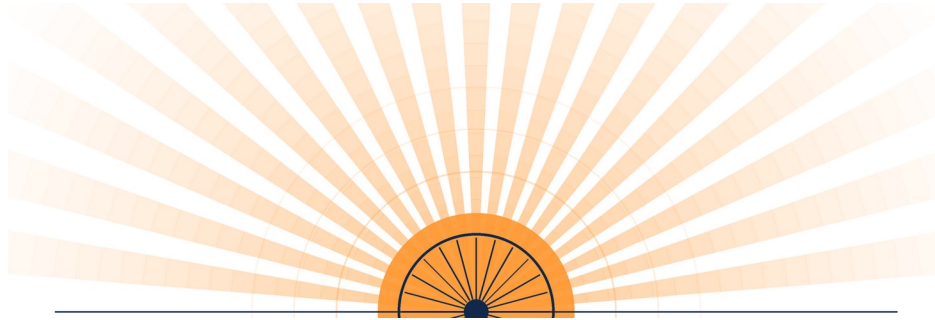




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“लोग जिस स्थिति को सच मान लेते हैं, उसके नतीजे सचमुच सच हो जाते हैं”

— डब्ल्यू.आई. थॉमस और डोरोथी स्वेन थॉमस, द चाइल्ड इन अमेरिका (1928)

द हिंदू (मुंबई), द इंडियन एक्सप्रेस (मुंबई) और द इकोनॉमिक टाइम्स (मुंबई) — 13 अक्टूबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan · 13 अक्टूबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“क्योंकि नीति के बारे में अपेक्षाएँ न केवल मायने रखती हैं, बल्कि कम से कम आज की परिस्थितियों में, उनके सिवा बहुत कम चीजें मायने रखती हैं।”

— **माइकल वुडफोर्ड** · “सेंट्रल बैंक कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी इफेक्टिवनेस”, जैक्सन होल संगोष्ठी, अगस्त 2005 (NBER वर्किंग पेपर 11898) उपयोग करें (Use in): आज रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को “वृहत् आर्थिक स्थिरीकरण की सूक्ष्म-आर्थिक नींव” के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल, और सितंबर की CPI महंगाई 5.54%, जिसमें प्याज़ साल भर पहले से 108.09% महंगा है और कोर महंगाई 4.1% से बढ़कर 4.3% हो गई है। इसका प्रयोग मौद्रिक नीति, फ़ॉरवर्ड गाइडेंस और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण पर GS3 के उत्तरों में करें: MPC दिसंबर में दर बढ़ाने पर इसलिए विचार कर रही है कि रेपो बढ़ाने से प्याज़ तो नहीं उगता, पर खाद्य झटका — मेन्यू और किराए दोबारा तय होने पर — अपेक्षित महंगाई न बन जाए। संतुलन के लिए: वुडफोर्ड गहरे वित्तीय बाज़ारों वाली विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बात कर रहे थे; भारत में आपूर्ति के झटके, कमज़ोर मानसून और प्याज़ का कमज़ोर भंडारण बहुत मायने रखते हैं, और रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाले परिवार अपेक्षित आय के भरोसे योजना नहीं बना सकते।

“पक्षकारों को वर्तमान और भावी पीढ़ियों के हित में, समता के आधार पर और अपनी साझी किंतु विभेदित ज़िम्मेदारियों तथा अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुसार, जलवायु प्रणाली की रक्षा करनी चाहिए।”

— **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC)** · अनुच्छेद 3(1) (1992 में स्वीकृत) उपयोग करें (Use in): अदीस अबाबा में IPCC के पूर्ण अधिवेशन में आज का गतिरोध, जहाँ भारत, केन्या, सऊदी अरब, रूस और चीन चाहते हैं कि AR7 की तीन में से दो रिपोर्टें 2029 तक खिसके ताकि कम संसाधन वाले देशों के वैज्ञानिक योगदान दे सकें, जबकि सह-अध्यक्ष वैश्विक स्टॉकटेक के लिए तीनों को सितंबर 2028 तक मंज़ूर करना चाहते हैं। इसका प्रयोग जलवायु वार्ताओं पर GS3 और वैश्विक शासन पर GS2 के उत्तरों में करें: समता स्वयं संधि का सिद्धांत है, और जो आकलन गरीब क्षेत्रों को कम दर्ज करता है, वह इस सिद्धांत को कमज़ोर करता है। संतुलन के लिए: देरी चाहने वाले कुछ सदस्य कमज़ोर निष्कर्ष भी चाह सकते हैं, एक साल अतिरिक्त मिलने से वह शोध पैदा नहीं हो जाता जो है ही नहीं, और 2028 का स्टॉकटेक नए IPCC निष्कर्षों के बिना भी हो सकता है — इसलिए भारत का पक्ष तब सबसे मज़बूत है जब वह केवल समय नहीं, ग्लोबल साउथ के लेखकों के लिए धन भी माँगे।

“अनुच्छेद 16 के खंड (4) में परिकल्पित आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 50% नियम रहेगा, पर इस देश और इसके लोगों की महान विविधता में निहित कुछ असाधारण परिस्थितियों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए।”

— **भारत का उच्चतम न्यायालय (न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी, बहुमत की ओर से)** · इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (नौ न्यायाधीश, 16 नवंबर 1992)

उपयोग करें (Use in): कर्नाटक उच्च न्यायालय का आज का निर्णय, जिसने राज्य के 2022 के अधिनियम की धाराएँ 3 और 4 रद्द कर दीं — इस अधिनियम ने अनुसूचित जाति कोटा 15% से 17% और अनुसूचित जनजाति कोटा 3% से 7% किया था, जिससे कुल आरक्षण 56% हो गया — क्योंकि कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दिखाई गई। इसका प्रयोग आरक्षण, अनुच्छेद 16(4) और न्यायिक समीक्षा पर GS2 के उत्तरों में करें: नियम 50% है, अपवाद मौजूद है, पर उसे जनसंख्या-हिस्से से नहीं, प्रतिनिधित्व के आँकड़ों से सिद्ध करना होगा। संतुलन के लिए: जनहित अभियान (2022) ने 10% EWS कोटे को सीमा के ऊपर रहने दिया, तमिलनाडु का 69% क़ानून नौवीं अनुसूची में है (आई.आर. कोएल्हो के बाद समीक्षा के अधीन), और अनुसूचित जाति-जनजाति का बहिष्कार पदों की गिनती से कहीं गहरा हो सकता है।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड · पढ़ने का समय: लगभग 2 घंटे 5 मिनट।

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)
- यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 कर्नाटक उच्च न्यायालय ने SC/ST आरक्षण को बढ़ाकर 56 प्रतिशत करने वाला 2022 का अधिनियम रद्द किया
- 1.2 दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को औपचारिक रूप से अधिसूचना से हटाया और प्रदर्शन के लिए तीन दूर के मैदान तय किए
- 1.3 भोसले जाँच के बीच MPSC अध्यक्ष अवकाश पर; उन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 सितंबर में खुदरा महंगाई 5.54% पर, लगातार चौथे महीने RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर
- 2.2 2026 का अर्थशास्त्र नोबेल रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, स्थिरीकरण की सूक्ष्म-आधारभूमि के लिए

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

- 3.1 कर्नाटक ने 240 में से 217 तालुके सूखा-प्रभावित घोषित किए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से ₹11,000 करोड़ माँगे

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 4.1 CETA के बाद पहली भारत-ब्रिटेन व्यापार समिति बैठक: वार्षिक आँकड़ों का आदान-प्रदान और 2030 का लक्ष्य तय

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 5.1 अदीस अबाबा में IPCC सदस्यों के बीच अगले जलवायु आकलनों की समय-सीमा पर गतिरोध
- 5.2 पश्चिमी घाट का सातवाँ ESA मसौदा, 56,825.7 वर्ग किमी, छह राज्यों के विरोध के घेरे में

6. स्वास्थ्य एवं जीव-विज्ञान (Health & Life Sciences)

- 6.1 सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा: हर दवा का MRP 16% खुदरा विक्रेता मार्जिन के भीतर क्यों नहीं रखा जा सकता

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

- 7.1 ₹1 लाख करोड़ के RDI कोष ने अपने पहले 19 द्वितीय-स्तरीय कोष प्रबंधक चुने
- 7.2 डेटा सेंटरों के पानी और बिजली पर दबाव का अध्ययन करेगी महाराष्ट्र की काकोडकर समिति

8. समाज (Society)

- 8.1 2050 तक भारत में बुजुर्ग 34.7 करोड़ होंगे, उधर केरलम देखभालकर्ताओं को प्रमाणित करने की ओर

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

- 9.1 केस 1 — नई उत्तर-पुस्तिका: अनुशासन समिति, एक व्यथित छात्र और तीस ईमानदार सहपाठी
- 9.2 केस 2 — कुंभ से पहले एक निजी प्रयोगशाला की रिपोर्ट: प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी और अंबड का पीला पानी

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

- 10 19 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

- 11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 2.1
- 11.2 GS1 कोना — History: जंतर मंतर, दिल्ली: सवाई जयसिंह द्वितीय की चिनाई के यंत्रों वाली वेधशाला
- 11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें (4)
- 11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): करुणा से संयमित निष्पक्षता (Impartiality tempered by compassion)
- 11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

- 12.1 लोग जिसकी अपेक्षा करते हैं, उसे घटित कराने में स्वयं हाथ बाँटाते हैं।

यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

पूरी पत्रिका लगभग दो घंटे की है। समय कम हो तो पहले ये पाँच कार्ड पढ़ें।

1.1	कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 56% तक बढ़ाए गए SC/ST कोटे को रद्द किया क्यों ज़रूरी: GS2 आरक्षण: प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंदरा साहनी, अनुच्छेद 16(4), नौवीं अनुसूची; मुख्य परीक्षा के लिए 50% की सीमा बनाम जनसंख्या-आधारित दावे, जहाँ एक सप्ताह में दो कोटा कानून रद्द हुए।
2.1	सितंबर में खुदरा महंगाई 5.54%, लगातार चौथे महीने 4% के लक्ष्य से ऊपर क्यों ज़रूरी: GS3 मौद्रिक नीति: प्रारंभिक परीक्षा के लिए RBI अधिनियम की धाराएँ 45ZA, 45ZB और आधार वर्ष 2024 वाला CPI; मुख्य परीक्षा के लिए रेपो दर बढ़ाना क्या कर सकता है और क्या नहीं।
3.1	कर्नाटक ने 240 में से 217 तालुकों को सूखा-प्रभावित घोषित किया, NDRF सहायता माँगी क्यों ज़रूरी: GS3 आपदा प्रबंधन और GS2 संघवाद: प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराएँ 46 और 48; मुख्य परीक्षा के लिए राहत में देरी और बटवाईदार किसान।
4.1	CETA के बाद पहली भारत-ब्रिटेन JETCO ने वार्षिक उपयोग-ऑकड़े तय किए क्यों ज़रूरी: GS2 द्विपक्षीय समझौते: प्रारंभिक परीक्षा के लिए CETA की तिथियाँ, उत्पत्ति के नियम, EFTA; मुख्य परीक्षा के लिए छोटे निर्यातक व्यापार समझौतों का कम उपयोग क्यों करते हैं।
5.1	सातवें आकलन के समय-सारणी पर अदीस अबाबा में IPCC में गतिरोध क्यों ज़रूरी: GS2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और GS3 जलवायु: प्रारंभिक परीक्षा के लिए IPCC के कार्य-समूह, पेरिस समझौते का अनुच्छेद 14; मुख्य परीक्षा के लिए जलवायु विज्ञान कौन लिखता है, इसमें समता का प्रश्न।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — आज दो तरह के कार्ड हैं। "गहन अध्ययन" कार्ड दिन का कोई बड़ा मुद्दा है, जिसे आरवी सर के फ़ॉर्मूले से चुना गया है: वह पहले पृष्ठभूमि और कठिन शब्द समझाता है, फिर पाठ्यक्रम से जुड़ाव, प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य, तर्क सहित विश्लेषण, दोनों पक्ष, आगे की राह, आदर्श उत्तर-दृष्टिकोण के साथ मुख्य परीक्षा का प्रश्न, और वह निर्णय जो एक अधिकारी के सामने आएगा — साथ में यह भी कि वह तीन A (क्षमता, गुमनामी, सादगी) में से किसकी परीक्षा लेता है। "संक्षेप में" कार्ड वह खबर है जिसे जानना ज़रूरी है पर गहराई से पढ़ना नहीं; क्या हुआ, परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है, और प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य; उसमें आए विचार upscdarpan.in पर Concept Booster → आज के कॉन्सेप्ट में समझाए गए हैं। लंबे हिस्से शीर्षक वाले क्रमांकित बिंदुओं में हैं, ताकि शीर्षक पढ़कर ही तर्क समझ आ जाए। आखिरी पन्ना, आज का आईना, दो मिनट अपने साथ है।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

आज की तीनों खबरें उन रेखाओं की हैं जिन्हें संस्थाएँ खींचती हैं और दूसरे उन्हें खिसकाने की कोशिश करते हैं। एक उच्च न्यायालय राज्य विधानमंडल के सामने आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को कायम रखता है, दिल्ली पुलिस राजधानी में धरना-प्रदर्शन की जगहों का नक्शा नए सिरे से खींचती है, और एक राज्य सरकार पाती है कि वह अपने ही भर्ती आयोग के अध्यक्ष को हटा नहीं सकती। तीनों मामलों में संविधान ने जान-बूझकर एक निर्णय को सत्ता में बैठी सरकार की आसान पहुँच से बाहर रखा है।

1.1 कर्नाटक उच्च न्यायालय ने SC/ST आरक्षण को बढ़ाकर 56 प्रतिशत करने वाला 2022 का अधिनियम रद्द किया

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 3 — आम नागरिक से जुड़ा विकास का मुद्दा: सरकारी नौकरी या कॉलेज की सीट किसे मिलेगी, यह इसी रेखा पर टिका है; अदालतें और राज्य बार-बार परखते रहते हैं कि 50 प्रतिशत की सीमा कितनी लचीली है।

मुद्दा आरक्षण की 50% सीमा (कड़ी 2) दृष्टि (Lens) विकास और समता · स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य का 27 प्रतिशत OBC आरक्षण रद्द कर दिया, और सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों में 34 प्रतिशत BC आरक्षण की आंध्र प्रदेश की अपील खारिज कर दी।

समाचार (THE NEWS) बेंगलुरु। सोमवार, 12 अक्टूबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति के.एस. हेमलेखा थे, ने कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का तथा राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2022 की धारा 3 और 4 को संविधान की शक्ति-सीमा से बाहर (ultra vires) घोषित कर दिया। यह अधिनियम तत्कालीन बसवराज बोम्मई सरकार (भाजपा) के समय 1 नवंबर 2022 से पूर्वव्यापी रूप से लागू हुआ था और इसने अनुसूचित जाति का आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति का 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया था। 32 प्रतिशत OBC आरक्षण के अपरिवर्तित रहने से कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया। न्यायालय ने कहा कि यह वृद्धि "संवैधानिक रूप से अनुज्ञेय नहीं" है, क्योंकि यह इंद्रा साहनी (1992) में तय और "अनेक निर्णयों में दोहराई गई" सीमा का उल्लंघन करती है।

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))

1. आरक्षण इसलिए है कि समान नियमों से समान परिणाम नहीं निकले — केवल औपचारिक समानता से सदियों तक वंचित रहे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पीछे ही रह गए। इसीलिए अनुच्छेद 15(4) उनकी उन्नति के लिए प्रवेश सहित, विशेष उपबंध की अनुमति देता है और अनुच्छेद 16(4) ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए पदों के आरक्षण की अनुमति देता है जिसका राज्य की सेवाओं में "पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं" है। अनुच्छेद 46, जो एक नीति निदेशक तत्व है, राज्य से उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने को कहता है।
2. 50 प्रतिशत की सीमा न्यायाधीशों की खींची रेखा है, जो खुली सीटों की रक्षा करती है — संविधान कोई संख्या नहीं बताता। इंद्रा साहनी में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण को अवसर की समानता का अपवाद माना, इसलिए सामान्यतः वह आधी से अधिक सीटें नहीं ले सकता। न्यायालय ने इस सीमा को पार करने की छूट केवल "असाधारण परिस्थितियों" में दी, जैसे दूर-दराज़ के उन इलाकों के लोग जो मुख्यधारा से कटे हुए हैं।
3. राज्य कोशिश इसलिए करते रहते हैं कि संख्याएँ राजनीतिक होती हैं — जिन समूहों की आबादी में हिस्सेदारी उनके आरक्षण से अधिक है, वे जातिगत सर्वेक्षणों का हवाला देकर और अधिक आरक्षण की माँग करते हैं।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- 50 प्रतिशत की सीमा (50% ceiling) — पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कुल आरक्षण सामान्यतः आधी सीटों या पदों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों का अपवाद (Extraordinary situations exception) — दूर-दराज़ और अलग-थलग इलाकों के समूहों के लिए 50 प्रतिशत पार करने की इंद्रा साहनी की सीमित छूट।
- परिमाणात्मक आँकड़े (Quantifiable data) — मापने योग्य प्रमाण, जैसे किसी समूह के पास पदों का वास्तविक हिस्सा, जो आरक्षण बढ़ाने से पहले अदालतें माँगती हैं।
- नौवीं अनुसूची का संरक्षण (Ninth Schedule protection) — संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची में डाले गए कानून चुनौती से सुरक्षित माने जाते थे; 2007 से उनकी भी मूल

ढाँचे की कसौटी पर समीक्षा हो सकती है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

समूह आबादी में हिस्सेदारी का हवाला देते हैं → कर्नाटक SC/ST आरक्षण को 17 और 7 प्रतिशत करता है (2022) → कुल आरक्षण 56 प्रतिशत हो जाता है → असाधारण परिस्थिति सिद्ध नहीं होती → उच्च न्यायालय धारा 3 और 4 को रद्द करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	- इंद्रा साहनी ने सीमा तय की; मराठा मामले में उसे दोबारा खोलने से इनकार हुआ — इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने OBC आरक्षण को वैध ठहराया, क्रीमी लेयर को बाहर रखा और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तय की। जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (2021) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण रद्द कर दिया। - सीमा से निकलने के दो जाने-पहचाने रास्ते हैं: EWS और नौवीं अनुसूची — जनहित अभियान (2022) में न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन के 10 प्रतिशत EWS आरक्षण को वैध ठहराया और माना कि यह सीमा केवल पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर लागू होती है। तमिलनाडु का 69 प्रतिशत वाला कानून 76वें संशोधन (1994) से नौवीं अनुसूची में डाला गया, पर आई.आर. कोएल्हो (2007) में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए कानून मूल ढाँचे की समीक्षा के दायरे में हैं।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	क्या 50 प्रतिशत की सीमा संवैधानिक सिद्धांत है या न्यायिक सुविधा? — GS2 में “इन कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय” शामिल हैं। एक सप्ताह में दो आरक्षण कानून रद्द होने के बाद ये प्रश्न आ सकते हैं: समानता बनाम प्रतिनिधित्व, राज्य को कौन-से आँकड़े दिखाने होंगे, और अदालतों की भूमिका।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	- अनुच्छेद 16(4) एक समर्थकारी उपबंध है: यह राज्य को ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए पद आरक्षित करने की अनुमति देता है जिसका उसकी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पर बाध्य नहीं करता। 76वें संविधान संशोधन (1994) ने तमिलनाडु का 69 प्रतिशत आरक्षण का कानून नौवीं अनुसूची में रखा। - अनुच्छेद 335 के अनुसार सेवाओं में SC/ST के दावों पर प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति में विचार किया जाना चाहिए।
विश्लेषण (ANALYSIS)	- सीमा खुले आधे हिस्से की रक्षा करती है, पर यह रेखा पहले ही छिद्रित हो चुकी है — हर आरक्षित सीट का अर्थ है एक खुली सीट कम, इसलिए न्यायालय ने बीच की रेखा खींची ताकि अपवाद नियम को निगल न जाए। सबसे मज़बूत आपत्ति यह है कि यह रेखा अब सिद्धांत नहीं रह गई: जनहित अभियान ने 10 प्रतिशत EWS आरक्षण को 50 प्रतिशत के ऊपर रहने दिया, इसलिए कई राज्यों में कुल आरक्षण पहले ही आधे से अधिक है। सीमा अब जाति-आधारित दावों को बाँधती है और आय-आधारित दावों को जाने देती है, जिससे यह तर्क कमज़ोर पड़ता है कि 50 प्रतिशत खुली प्रतिस्पर्धा की रक्षा के लिए है। - आबादी में हिस्सेदारी राजनीतिक दावा है; संवैधानिक कसौटी प्रतिनिधित्व है, जो आँकड़ों से सिद्ध हो — अनुच्छेद 16(4) यह पूछता है कि सेवाओं में कोई समूह “पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व” पाता है या नहीं, यह नहीं कि उसका आरक्षण उसकी आबादी के बराबर है या नहीं। इसलिए अदालतें वास्तव में धारित पदों के आँकड़े माँगती हैं: मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय ने पाया कि OBC के पास राज्य के 28.16 प्रतिशत पद पहले से थे, और एम. नागराज (2006) ने पदोन्नति में आरक्षण से पहले परिमाणात्मक आँकड़े माँगे। दूसरा पक्ष भी उचित है: SC और ST का बहिष्करण पदों की गिनती से दिखने वाले बहिष्करण से कहीं गहरा है। पर ज़रूरत का प्रमाण “असाधारण परिस्थिति” का प्रमाण नहीं है, और इंद्रा साहनी ने यही कसौटी रखी थी। - लेंस — संस्थाएँ: अदालतें ऐसी सीमा लगा रही हैं जिसे चुनावी होड़ हिला नहीं सकती, और यही उनका काम है — आरक्षण बढ़ाना लोकप्रिय कदम है, इसलिए वास्तविक अंकुश केवल न्यायिक है। अदालतें आरक्षण से इनकार नहीं कर रहीं; वे राज्यों को प्रमाण के मानक पर कस रही हैं। मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नियुक्तियों या पदोन्नति में आरक्षण माँगने का कोई मूल अधिकार नहीं है, इसलिए राज्य को यह उचित ठहराना होगा कि वह कितना दे रहा है। यह प्रतिवाद कि निर्वाचित निकाय सामाजिक आवश्यकता को सबसे अच्छी तरह आँकते हैं, वज़नदार है, पर कोएल्हो के बाद नौवीं अनुसूची का रास्ता भी अंततः अदालतों तक ही पहुँचता है।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	+ पक्ष में: उच्च न्यायालय और सामान्य वर्ग: आधे से अधिक का आरक्षण अपवाद को

	नियम बना देता है और आरक्षित समूहों के बाहर के लोगों के लिए अवसर की समानता खोखली कर देता है। ● + पक्ष में: संस्थागत अनुशासन: असाधारण परिस्थिति की माँग यह सुनिश्चित करती है कि आरक्षण का स्तर चुनाव-पूर्व बोली से तय न हो। ● - विपक्ष में: SC/ST समूह और राज्य: दशकों पहले तय आरक्षण आबादी के हिस्से से पीछे रह गए हैं, जिससे सबसे अधिक वंचितों का कम प्रतिनिधित्व जमा रहता है। ● - विपक्ष में: आलोचक: संविधान कोई संख्या नहीं बताता और EWS पहले ही 50 प्रतिशत के ऊपर है, इसलिए केवल SC/ST के दावों को बाँधना असंगत है।
आगे की राह (WAY FORWARD)	1. आरक्षण से पहले आँकड़े जुटाएँ — अपील करने या कानून नए सिरे से बनाने से पहले राज्य को एम. नागराज की अपेक्षा के अनुसार संवर्ग-दर-संवर्ग SC और ST के प्रतिनिधित्व का सर्वेक्षण करना चाहिए। 2. आरक्षण बढ़ाने के बजाय उसके भीतर लक्ष्य साधें — पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) में सात न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यों को प्रामाणिक आँकड़ों के आधार पर SC के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी, और सात में से चार न्यायाधीशों ने अनुषंगी टिप्पणी (obiter) में SC और ST के लिए क्रीमी लेयर की कसौटी सुझाई। लाभों का अधिक न्यायसंगत बँटवारा किसी सीमा का उल्लंघन नहीं करता।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	कर्नाटक उच्च न्यायालय के SC/ST आरक्षण संबंधी निर्णय के आलोक में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को आबादी पर आधारित दावों के आगे झुकना चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — दोनों पक्षों को तौलिए और एक निष्कर्ष पर पहुँचिए। 2. भूमिका — निर्णय और गणित — नमूना: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2022 के उस अधिनियम को रद्द कर दिया जिसने आरक्षण को 56 प्रतिशत कर दिया था और जो इंद्रा साहनी की सीमा का उल्लंघन करता था। 3. मुख्य भाग — सीमा खुले आधे हिस्से के लिए अवसर की समानता को अर्थपूर्ण बनाए रखती है — अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद है। प्रवाह-चित्र बनाइए: आबादी का दावा → प्रतिनिधित्व के आँकड़े → असाधारण परिस्थिति? → वैध या रद्द। 4. मुख्य भाग — कसौटी आँकड़ों से सिद्ध प्रतिनिधित्व है, आबादी में हिस्सेदारी नहीं — मूल्यवर्धन: मध्य प्रदेश में OBC के पास पहले से 28.16 प्रतिशत पद थे; एम. नागराज का परिमाणात्मक आँकड़ों का नियम। 5. मुख्य भाग — सीमा पहले ही छिद्रित है, जिससे उसका तर्क कमज़ोर पड़ता है — जनहित अभियान (EWS, 3:2); नौवीं अनुसूची में तमिलनाडु का 69 प्रतिशत और कोएल्हो की सीमा। 6. मुख्य भाग — जो ऊँचा आरक्षण चाहता है, वह लक्ष्य साधने से भी मिल सकता है — उप-वर्गीकरण पर दविंदर सिंह (2024) और क्रीमी लेयर का सुझाव। 7. निष्कर्ष — पहले गिनिए, फिर लक्ष्य साधिए — नमूना: राज्य को पहले यह गिनना होगा कि किसके पास कौन-से पद हैं, फिर सीमा के भीतर लाभ को लक्षित करना होगा या सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखना होगा।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. कर्नाटक के सामाजिक कल्याण सचिव के रूप में, रद्द किए गए कानून के तहत आधी भर्तियाँ पूरी हो चुकी हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं अपील लंबित रहने तक 17 और 7 प्रतिशत के रोस्टर पर जारी रख सकता हूँ, सारी भर्तियाँ रोक सकता हूँ, या लंबित प्रक्रियाओं को नए सिरे से बना सकता हूँ; जारी रखने से शून्य घोषित धाराओं के तहत नियुक्तियाँ होंगी, और सब कुछ रोकने से हर अभ्यर्थी को सज़ा मिलेगी। मैं रद्द की गई धाराओं के तहत नई नियुक्ति के आदेश तुरंत रोकूँगा, पूरी हो चुकी चयन प्रक्रियाओं पर महाधिवक्ता की लिखित राय लूँगा, और लंबित मेरिट सूचियों को 15 और 3 प्रतिशत के रोस्टर पर दोबारा बनाऊँगा। प्रभावित होने वालों में हर वर्ग के अभ्यर्थी और कर्मचारियों की कमी झेल रहे विभाग हैं। निर्णायक सिद्धांत विधि का शासन है: अदालत का आदेश तब तक प्रशासन पर बाध्यकारी है जब तक कोई उच्चतर अदालत अन्यथा न कहे।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	क्षमता (Ability) — निर्णय को पंक्ति-दर-पंक्ति पढ़ना और किसी भी नियुक्ति-पत्र के जाने से पहले, अवमानना का नोटिस आने के बाद नहीं, लंबित मेरिट सूचियों को पुराने रोस्टर पर दोबारा बनाना।

1.2 दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को औपचारिक रूप से अधिसूचना से हटाया और प्रदर्शन के लिए तीन दूर के मैदान तय किए

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा विरोध का अधिकार और लोक व्यवस्था (कडी 2) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर के जंतर मंतर प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार किया और BNSS की धारा 163 के तहत जमावड़ों पर रोक लगा दी। 9 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने परिवहन ठप करने को “अतिक्रमणकारी” कहा; केंद्र ने वैकल्पिक स्थल पर विचार करने की सहमति दी।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। नया यह है कि अब एक औपचारिक आदेश आया है। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार का 11 अक्टूबर की तारीख का स्थायी आदेश, जो सोमवार को सार्वजनिक हुआ, जंतर मंतर को प्रदर्शन-स्थल के रूप में अधिसूचना से हटाता है और उसकी जगह रामलीला मैदान, बुराडी ग्राउंड तथा पूर्वी दिल्ली के CBD ग्राउंड को नामित करता है। यह गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर आया है और 28 अप्रैल 2022 के स्थायी आदेश में आंशिक संशोधन करता है। रामलीला लगभग 4 किमी दूर है; अखबारों के अनुसार अन्य दोनों लगभग 12 से 26 किमी से अधिक दूर हैं। PTI (इंडियन एक्सप्रेस) के अनुसार रामलीला मैदान इस वर्ष केवल 29 से 31 दिसंबर को खाली है। इंडियन एक्सप्रेस में सुहास पलशीकर ऐसे “बंद किए जाने” को “पुनर्लोकतंत्रीकरण” की पुकार के रूप में पढ़ते हैं।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS2, “मूल अधिकार”। मुख्य परीक्षा का कोण: क्या दूर का निर्धारित स्थल विनियमन है, जिसे अदालत मानती है, या भेस बदला हुआ प्रतिबंध? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, क्योंकि अनुच्छेद 239AA(3)(a) लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को दिल्ली विधानसभा की शक्ति से बाहर रखता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 19(1)(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार देता है; अनुच्छेद 19(3) भारत की संप्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत निर्बंधन की अनुमति देता है। ● मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018): प्रदर्शनों के लिए क्षेत्र निर्धारित किए जा सकते हैं; जंतर मंतर रोड का एक भाग खुला रखा गया। ● हिम्मत लाल के. शाह (1972): पूर्व अनुमति की शर्त वैध है, पर राज्य हर सड़क या सार्वजनिक स्थान पर सम्मेलन पर रोक नहीं लगा सकता।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत सम्मेलन के अधिकार पर व्यक्तिगत निर्बंधन (Reasonable restrictions on the right to assemble) · निर्बंधन के आधार के रूप में लोक व्यवस्था (Public order) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

1.3 भोसले जाँच के बीच MPSC अध्यक्ष अवकाश पर; उन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा भर्ती परीक्षाएँ और पेपर लीक (कडी 7) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी NEET-UG 2026 के पेपर लीक के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने NTA में सुधार की माँग की, और 6 अक्टूबर को ED ने प्रश्न-पत्र लीक के मामले में कर्नाटक PSC के निलंबित अध्यक्ष को गिरफ्तार किया।

समाचार (THE NEWS) मुंबई। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के अध्यक्ष विवेक भीमनवार 12 अक्टूबर को अवकाश पर चले गए। उन्होंने “नैतिक अंतरात्मा” का हवाला दिया और किसी भी दबाव से इनकार किया, क्योंकि अब एक समिति आयोग के कामकाज की जाँच करेगी। 154 पदों के लिए 22 मार्च 2026 की औषधि निरीक्षक परीक्षा में कथित लीक को लेकर अभ्यर्थी पूणे में 11 दिन तक धरने पर रहे; अगस्त में भर्ती रद्द कर दी गई थी और सोमवार तक गिरफ्तारियाँ 12 हो गईं। भीमनवार का कहना है कि लीक उनके कार्यकाल से पहले हुआ था। बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप भोसले जाँच की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट दो माह में देय है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि न वे और न मंत्रिमंडल अध्यक्ष को हटा सकते हैं: अनुच्छेद 317 यह शक्ति राष्ट्रपति को देता है।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS2, “विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व”। प्रारंभिक परीक्षा में अनुच्छेद 315-319 पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए: कार्यकाल की सुरक्षा भर्ती निकाय को नियुक्त करने वाली सरकार से बचाती है, पर परीक्षा विफल होने पर जवाबदेही धीमी हो जाती है, और अवकाश, जाँच तथा राष्ट्रपति को संदर्भ ही एकमात्र रास्ते रह जाते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 316: राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल छह वर्ष के लिए या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, करते हैं।

	● अनुच्छेद 317(1): कदाचार के आधार पर हटाना केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद; इस बीच राज्यपाल राज्य PSC के सदस्य को निलंबित कर सकता है। ● अनुच्छेद 319: राज्य PSC का अध्यक्ष बाद में UPSC में जा सकता है या किसी अन्य राज्य PSC का अध्यक्ष बन सकता है, पर कोई अन्य सरकारी नौकरी नहीं ले सकता।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● अनुच्छेद 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना (Removal of PSC members) · लोक सेवा आयोगों की स्वतंत्रता (Independence of Public Service Commissions) ● इनकी छोटी व्याख्या : upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

RBI द्वारा रेपो दर बढ़ाए जाने के एक सप्ताह बाद सितंबर के मूल्य-आँकड़े दिखाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, और यह भी कि दर-वृद्धि क्या नहीं कर सकती। उछाल का बड़ा हिस्सा प्याज़ और अन्य खाद्य पदार्थों का है, यानी आपूर्ति की समस्या; लेकिन ऊँचे दामों का रेस्तराँ, परिवहन और गैजेट तक फैल जाना ठीक उसी तरह की महँगाई है जिसे रोकने के लिए केंद्रीय बैंक होते हैं। उसी दिन घोषित अर्थशास्त्र का नोबेल उन अर्थशास्त्रियों को मिला है जिनके मॉडल RBI को बताते हैं कि अपेक्षाएँ किसी मूल्य-आघात को आगे कैसे ले जाती हैं।

2.1 सितंबर में खुदरा महँगाई 5.54% पर, लगातार चौथे महीने RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरबी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 3 — आम नागरिक से जुड़ा विकास का मुद्दा: प्याज़, दाल और परिवहन के दाम हर घर महसूस करता है; यही आँकड़ा तय करेगा कि कर्ज़ फिर महँगे होंगे या नहीं।

मुद्दा मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और RBI (कडी 11) दृष्टि (Lens) विकास और समता · तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी अगस्त में ब्रेंट के 100 डॉलर पार करने के साथ खुदरा महँगाई 4.83% पर पहुँची। 7 अक्टूबर को मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% की, जो फ़रवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि है, और फिर RBI ने CRR के नियम कड़े किए।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा सोमवार, 12 अक्टूबर को जारी अनंतिम आँकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महँगाई अगस्त के 4.83% से बढ़कर सितंबर में 5.54% हो गई। यह नई शृंखला (आधार वर्ष 2024) में सबसे ऊँचा स्तर है और पुरानी शृंखला को गिनने तो अक्टूबर 2024 के बाद सबसे ऊँचा; द हिंदू ने इसे पूर्णांकित करके 5.5% लिखा। खाद्य महँगाई 5.97% से उछलकर 7.74% हो गई; प्याज़ के दाम साल भर पहले की तुलना में 108.09% ऊँचे थे, और वृद्धि के 71 आधार अंकों में से 62 अंक खाद्य पदार्थों के रहे (ICRA)। ग्रामीण महँगाई 6.08% और शहरी 4.88% रही। खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर आँकी जाने वाली कोर महँगाई 4.1% से बढ़कर 4.3% हो गई (द इंडियन एक्सप्रेस)। यह 4% के लक्ष्य से ऊपर रहने वाला लगातार चौथा महीना है; ICRA, इंडिया रेटिंग्स और HDFC बैंक को अक्टूबर में लगभग 6% की अपेक्षा है।

पहले समझे — पृष्ठभूमि
(FIRST, UNDERSTAND
(BACKGROUND))

1. **CPI एक सामान्य परिवार की खरीदारी की टोकरी का दाम है** — NSO हर महीने 1,407 शहरी बाज़ारों और 1,465 गाँवों में एक तय टोकरी की क्रिमते दर्ज करता है और उनकी तुलना साल भर पहले से करता है। नई शृंखला में 12 वर्ग (डिवीज़न) हैं। प्रमुख (हेडलाइन) महँगाई पूरी टोकरी को गिनती है; कोर महँगाई में खाद्य और ईंधन नहीं गिने जाते, क्योंकि उनके दाम मौसम और तेल के साथ झूलते रहते हैं।
2. **निम्न आधार दामों के लगभग स्थिर रहने पर भी दर को बड़ा दिखा सकता है** — महँगाई पिछले साल से तुलना है। 22 सितंबर 2025 से GST में चौतरफ़ा कटौती हुई थी, इसलिए साल भर पहले के दाम असामान्य रूप से नीचे थे और आज के दाम उनके सामने ऊँचे दिखते हैं। अक्टूबर में यह असर और बढ़ेगा, क्योंकि उस कटौती के बाद वह पहला पूरा महीना है।
3. **रेपो दर माँग पर काम करती है; प्याज़ आपूर्ति की समस्या है** — रेपो दर ऊँची होने से कर्ज़ महँगा होता है, लोग कम खर्च करते हैं और विक्रेता आसानी से दाम नहीं बढ़ा पाते। पर इससे प्याज़ पैदा नहीं हो जाता। हाँ, यह खाद्य-आघात को दाम बढ़ाते रहने की सामान्य आदत बनने से रोक सकती है।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- आधार प्रभाव (Base effect) — पिछले साल इसी महीने में दामों के असामान्य रूप से ऊँचे या नीचे होने के कारण वार्षिक महँगाई दर में आया बदलाव।
- कोर महँगाई (Core inflation) — अस्थिर खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर आँकी गई महँगाई; यह टिकाऊ रुझान दिखाती है।
- लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Flexible inflation targeting) — केंद्रीय बैंक महँगाई का एक संख्यात्मक लक्ष्य रखता है, पर वृद्धि की रक्षा के लिए महँगाई को एक दायरे में घटने-बढ़ने दे सकता है।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) — छह सदस्यों वाली वैधानिक संस्था, जो रेपो दर तय करती है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

कमज़ोर मानसून और प्याज़ का घटा भंडार → खाद्य दाम उछलते हैं → पिछले साल की GST कटौती से आधार नीचा हो जाता है → रसोई गैस महँगी होने से रेस्तराँ और परिवहन के दाम चढ़ते हैं → 12 में से 11 वर्गों में महँगाई तेज़ होती है → MPC दिसंबर में वृद्धि पर विचार करती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. 4% का लक्ष्य केंद्र सरकार RBI अधिनियम के तहत तय करती है — भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (RBI Act) की धारा 45ZA (2016 में जोड़ी गई) केंद्र को, RBI से परामर्श करके, हर पाँच वर्ष में महँगाई का लक्ष्य तय करने की शक्ति देती है: 2-6% के दायरे में 4% CPI महँगाई, जिसे 25 मार्च 2026 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अप्रैल 2026 से मार्च 2031 के लिए दोहराया गया। यदि औसत महँगाई लगातार किन्हीं तीन तिमाहियों में दायरे से बाहर रहती है (विफलता की वह कसौटी जो केंद्र ने धारा 45ZN के अंतर्गत अधिसूचित की है), तो RBI को केंद्र को कारण, अपने उपाय और उनके लिए अपेक्षित समय की रिपोर्ट देनी पड़ती है। 2. रेपो दर छह लोग तय करते हैं — धारा 45ZB के अंतर्गत MPC बनती है: गवर्नर (अध्यक्ष), मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर, RBI के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक RBI अधिकारी, और केंद्र द्वारा चार वर्ष के लिए नियुक्त तीन बाहरी सदस्य। गवर्नर के पास निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) होता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. क्या ब्याज़ दरें उस महँगाई को क़ाबू कर सकती हैं जो खेत और तेल के कुएँ से शुरू होती है? — GS3 के पाठ्यक्रम में “भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, संसाधनों को जुटाने, संवृद्धि, विकास और रोज़गार से संबंधित विषय” शामिल हैं। तीन आयामों की अपेक्षा रखें: आपूर्ति-पक्ष बनाम माँग-पक्ष की महँगाई, MPC की विश्वसनीयता, और महँगाई का बोझ कौन उठाता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के अंतर्गत केंद्र सरकार, RBI से परामर्श करके, पाँच वर्ष में एक बार महँगाई का लक्ष्य तय करती है। ● MPC (धारा 45ZB) में छह सदस्य होते हैं, तीन RBI से और तीन केंद्र द्वारा नियुक्त; गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है। ● अखिल भारतीय CPI (ग्रामीण, शहरी, संयुक्त) का संकलन MoSPI का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है; नई शृंखला का आधार वर्ष 2024=100 है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. यह मुख्यतः आपूर्ति-आघात है, पर अब टोकरी के बाकी हिस्सों में रिस रहा है — बैंक ऑफ़ बड़ौदा के मदन सबनवीस इसका कारण नई फ़सल आने से पहले पुराने भंडार के चूक जाने को बताते हैं। रेपो दर बढ़ाने से एक प्याज़ भी नहीं बढ़ता। फिर भी दूसरा पक्ष मज़बूत है: कोर महँगाई 4.3% हो गई, 12 में से 11 वर्गों में महँगाई तेज़ हुई, और रसोई गैस के महँगा होने से ‘रेस्तराँ और कैफ़े’ की महँगाई फ़रवरी के 2.73% से बढ़कर 9.39% पर पहुँच गई। जब कंपनियाँ मेन्यू और किराए के दाम नए सिरे से तय कर लेती हैं, तब खाद्य-आघात सामान्य महँगाई बन जाता है; दर-वृद्धि का निशाना यही है। 2. लेंस — समता: गाँव शहर से ज़्यादा चुकाता है, और गरीब सबसे ज़्यादा — ग्रामीण महँगाई (6.08%) शहरी (4.88%) से काफ़ी ऊपर है, और ग्रामीण खाद्य महँगाई 8.06% है जबकि शहरी 7.18%। कारण टोकरी की बनावट है: ग्रामीण परिवार के खर्च में खाद्य पदार्थों का हिस्सा बड़ा होता है। सबसे अधिक प्रभावित राज्य तमिलनाडु (6.81%) और ओडिशा (6.70%) सबसे संपन्न नहीं हैं। दूसरा पक्ष यह है कि फ़सलों के महँगे होने से किसानों की आय बढ़ती है। यह उस किसान के लिए सही है जिसके पास बेचने को अधिशेष है, उन भूमिहीन मज़दूरों के लिए नहीं जो अनाज ख़रीदते हैं; और सूखे के साल में बेचने को कम ही बचता है। 3. लेंस — दीर्घकालिक दृष्टि: तात्कालिक इलाज हर साल दोहराए जाते हैं क्योंकि दीर्घकालिक इलाज किए ही नहीं जाते — प्याज़ के हर उछाल पर बफ़र भंडार की निकासी, निर्यात पर रोक और छापे पड़ते हैं, जो कुछ सप्ताह ही काम करते हैं। कारण संरचनात्मक है: फ़सल एक साथ कटती है और भंडारण ख़राब है, इसलिए जब भी नई फ़सल से पहले पुराना भंडार ख़त्म होता है, दाम उछल जाते हैं, जैसा कि सबनवीस के अनुसार अभी हो रहा है। दूसरा पक्ष कहता है कि भंडारण में वर्षों लगते हैं जबकि दाम आज चुभ रहे हैं, इसलिए त्वरित कार्रवाई अपरिहार्य है। यह सही है, पर भंडारण और प्रसंस्करण के बिना हर कमज़ोर मानसून राष्ट्रीय महँगाई के आँकड़े में बदल जाएगा।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: बाज़र पक्ष (ICRA की अदिति नायर, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के मदन सबनवीस): अक्टूबर में महँगाई 6% से ऊपर जा रही है, ख़राब मानसून रबी की बुवाई पर संकट डाल रहा है और कंपनियाँ ने अभी दाम बढ़ोतरी आगे नहीं सरकाई है, इसलिए दिसंबर में वृद्धि लक्ष्य की रक्षा करेगी। ● + पक्ष में: विश्वसनीयता: क़ानूनी 4% लक्ष्य के चूकने को सह लेने से लोग और महँगाई की अपेक्षा करना सीखते हैं, जिसे उलटना कहीं महँगा पड़ता है। ● – विपक्ष में: कबूतर पक्ष: खाद्य और रसोई गैस के दाम मौसम और पश्चिम एशिया के युद्ध से आए हैं; ऊँची दरें कर्ज़दारों को चोट पहुँचाती हैं, प्याज़ का एक दाना भी नहीं उगाती। ● – विपक्ष में: विलंब: अक्टूबर की वृद्धि और कड़े CRR नियम अर्थव्यवस्था तक मुश्किल

	से पहुँचे हैं; खरीफ़ की आवक से पहले एक और वृद्धि अति-कार्रवाई का जोखिम है।
आगे की राह (WAY FORWARD)	1. MPC प्याज़ को नहीं, कोर और अपेक्षाओं को देखे — उर्जित पटेल समिति (2014) द्वारा सुझाया गया लचीला लक्ष्य MPC को खाद्य के प्रथम-चरण आघात को अनदेखा करने देता है, और वह तभी कदम उठाए जब कोर महँगाई और अपेक्षाएँ बढ़ती रहे। 2. खाद्य आघात से खाद्य उपायों से लड़ें — मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत केंद्र का बफ़र प्याज़ खरीफ़ फ़सल से पहले के अंतर को पाटे, और व्यापार संबंधी कदम पूर्वानुमेय हों। 3. फ़सल को जिस भंडारण की ज़रूरत है, उसे बनाएँ — टमाटर, प्याज़ और आलू के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स (2018) का विस्तार किया जाए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	खाद्य आपूर्ति-आघातों से उपजी महँगाई को मौद्रिक नीति किस सीमा तक नियंत्रित कर सकती है? भारत के सितंबर 2026 के CPI आँकड़ों के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — किस सीमा तक — आँकिए कि रेपो दर कहाँ काम करती है, कहाँ नहीं, और बाक़ी काम किसे करना होगा। 2. प्रस्तावना — दर-वृद्धि के एक सप्ताह बाद खाद्य-प्रधान आँकड़ा — नमूना: सितंबर 2026 में खुदरा महँगाई बढ़कर 5.54% हो गई, जो 4% के लक्ष्य से ऊपर लगातार चौथा महीना है, और खाद्य महँगाई 7.74% रही। 3. मुख्य भाग — रेपो दर आपूर्ति-आघात का इलाज नहीं कर सकती — 71 आधार अंकों की वृद्धि में 62 अंक खाद्य पदार्थों के रहे (ICRA)। प्रवाह-आरेख बनाइए: मानसून की विफलता → घटी आपूर्ति → ऊँचे खाद्य दाम, जिसमें रेपो दर से कोई तीर न जाए। 4. मुख्य भाग — पर यह द्वितीय-चरण प्रभावों को रोक सकती है — कोर 4.3%, 12 में से 11 वर्गों में तैज़ी, रेस्तराँ 9.39%: MPC इसी संक्रमण को निशाना बनाती है। 5. मुख्य भाग — टिकाऊ उत्तर आपूर्ति-पक्ष में है — बफ़र भंडार और ऑपरेशन ग्रीन्स; ग्रामीण महँगाई (6.08%) दिखाती है कि खाद्य के शुद्ध खरीदारों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। 6. निष्कर्ष — MPC अपेक्षाओं की रखवाली करे, आपूर्ति केंद्र और राज्य सुधारें — नमूना: MPC को कोर महँगाई और अपेक्षाओं पर कदम उठाना चाहिए, जबकि केंद्र और राज्य बफ़र भंडार जारी करें और भंडारण बनाएँ, क्योंकि ग़रीब दर-चक्र के बदलने का इंतज़ार नहीं कर सकता।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप ज़िला कलेक्टर हैं। आपके ज़िले में प्याज़ के खुदरा दाम साल भर में दोगुने हो गए हैं और प्रेस जमाखोरी का आरोप लगा रहा है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मेरे सामने विकल्प हैं: तुरंत छापे का आदेश दूँ, राज्य की प्रतीक्षा करूँ, या पहले यह तय करूँ कि जमाखोरी है भी या नहीं। सबूत के बिना छापे व्यापारियों को डराते हैं और आपूर्ति ठप कर देते हैं। मैं मंडी में आवक और थोक भंडार की तुलना पिछले साल से करूँगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचित भंडारण सीमा, यदि कोई हो, लागू कराऊँगा। साथ ही केंद्र के बफ़र प्याज़ को राशन दुकानों और सहकारी समितियों के ज़रिए बेचूँगा और मंडी तथा खुदरा भाव रोज़ प्रकाशित करूँगा। हितधारक हैं ग़रीब उपभोक्ता, छोटे व्यापारी और किसान। निर्णायक सिद्धांत आनुपातिकता है: साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करें, ईमानदार व्यापार को दंडित किए बिना खरीदार की रक्षा करें।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	क्षमता (Ability) — छापे का आदेश देने से पहले आवक और भंडार के आँकड़े पढ़ना, ताकि कार्रवाई असली कारण, यानी किल्लत या जमाखोरी, के अनुरूप हो और आपूर्ति और न बिगड़े।

2.2 2026 का अर्थशास्त्र नोबेल रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफ़ोर्ड को, स्थिरीकरण की सूक्ष्म-आधारभूमि के लिए

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्रा मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और RBI (कड़ी 11) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही

समाचार (THE NEWS) स्टॉकहोम। 12 अक्टूबर को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ़ साइंसेज़ ने 2026 का अल्फ़्रेड नोबेल की स्मृति में स्वेरिज़ेस रिक्सबैंक अर्थशास्त्र पुरस्कार रॉबर्ट ई. हॉल (स्टैनफ़ोर्ड विश्वविद्यालय) और माइकल वुडफ़ोर्ड (कोलंबिया विश्वविद्यालय) को “समष्टि-आर्थिक स्थिरीकरण की सूक्ष्म-आर्थिक आधारभूमि के लिए” प्रदान किया। उन्हें 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, लगभग ₹12 करोड़, साझा मिलेंगे। सूक्ष्म-आधारभूमि (माइक्रो-फ़ाउंडेशन) का अर्थ है पूरी अर्थव्यवस्था के मॉडल इस आधार पर बनाना कि परिवार और कंपनियाँ वास्तव में फ़ैसले कैसे लेते हैं। हॉल ने दिखाया कि किसी परिवार का खर्च जितना उसकी मौजूदा कमाई पर निर्भर करता है, लगभग उतना ही इस पर कि वह आगे कितना कमाने की अपेक्षा रखता है (द हिंदू), हालाँकि रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाले परिवार इस तरह योजना नहीं बना सकते (द इंडियन एक्सप्रेस)। वुडफ़ोर्ड ने दिखाया कि कंपनियाँ आगे की ओर देखकर दाम तय करती हैं, इसलिए

भविष्य की व्याज़ दरों की अपेक्षाएँ महँगाई को आकार देती हैं। पुरस्कार समिति के अध्यक्ष जॉन हैसलर ने कहा कि ये मॉडल “अब दुनिया भर के केंद्रीय बैंक और सरकारें इस्तेमाल करती हैं।”

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS3 के पाठ्यक्रम में महँगाई और मौद्रिक नीति शामिल हैं। वुडफ़ोर्ड का यह निष्कर्ष कि दामों को केवल दर नहीं, बल्कि लोगों की अपेक्षाएँ चलाती हैं, ही कारण है कि RBI अपनी आगे की राह बताता है (फ़ॉरवर्ड गाइडेंस) और महँगाई का लक्ष्य क्यों मौजूद है। यह आज की CPI कहानी का सैद्धांतिक रूप है: MPC इसलिए दर बढ़ाती है कि खाद्य-आघात अपेक्षित महँगाई न बन जाए। पुरस्कार पर प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न और अपेक्षाओं पर मुख्य परीक्षा की एक पंक्ति संभव है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अर्थशास्त्र का पुरस्कार औपचारिक रूप से अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वेरिजेस रिक्सबैंक अर्थशास्त्र पुरस्कार है, जिसे स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1968 में स्थापित किया और जो पहली बार 1969 में दिया गया। ● यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ़ साइंसेज़ द्वारा दिया जाता है, जो भौतिकी और रसायन विज्ञान के पुरस्कार भी देती है। ● फ़ॉरवर्ड गाइडेंस (Forward guidance) केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी संभावित भावी नीतिगत राह की सार्वजनिक सूचना है, जिसका उपयोग अपेक्षाओं को दिशा देने में होता है।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● महँगाई लक्ष्यीकरण और अपेक्षाओं की भूमिका (Inflation targeting and the role of expectations) · नव-कीन्सवादी समष्टि अर्थशास्त्र (New Keynesian macroeconomics) ● इनकी छोटी व्याख्या : upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

मानसून की विफलता अब राजकोषीय और संघीय, दोनों सवाल बन गई है। कर्नाटक ने अपने दस में से नौ तालुकों को सूखा-प्रभावित घोषित कर केंद्र से ₹11,000 करोड़ माँगे हैं; जबकि सर्वोच्च न्यायालय में यही किल्लत कावेरी के बँटवारे को उस पानी की लड़ाई बना रही है जो है ही नहीं। कसौटी यह नहीं कि नियम कितने कड़े हैं; बल्कि यह है कि अगली बुवाई से पहले मदद किसान तक पहुँचती है या नहीं।

3.1 कर्नाटक ने 240 में से 217 तालुके सूखा-प्रभावित घोषित किए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से ₹11,000 करोड़ माँगे

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला - श्रेणी 3 — आम नागरिक से जुड़ा विकास का मुद्दा: बारिश की विफलता किसान का कर्ज और गाँव का पानी तय करती है; केंद्र की सहायता उन तक कितनी जल्दी पहुँचती है, यह सहकारी संघवाद की कसौटी है।

मुद्दा सूखा और रबी मौसम की तैयारी (कडी 7) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य · विकास और समता

अब तक की कहानी मानसून सामान्य से 12.6% कम रहने पर महाराष्ट्र ने 26 सितंबर को 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित किया, और आंध्र प्रदेश ने जून-अगस्त में 53.4% वर्षा-कमी के बाद 1 अक्टूबर को 688 में से 388 मंडलों को सूखा-प्रभावित घोषित किया।

समाचार (THE NEWS) बंगलुरु एवं नई दिल्ली। जून-सितंबर में लगभग 35% वर्षा-कमी के बाद कर्नाटक ने अपने 240 में से 217 तालुकों को सूखा-प्रभावित घोषित किया है, जहाँ अरहर, मक्का, कपास और गन्ने को व्यापक क्षति पहुँची है। द हिंदू के 13 अक्टूबर के संपादकीय के अनुसार राज्य ने केंद्र से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से ₹11,000 करोड़ तथा इनपुट सब्सिडी बढ़ाने का अनुरोध किया है। ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रदर्शन 2015 के बाद सबसे कमज़ोर रहा। संपादकीय ने आग्रह किया कि अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (Inter-Ministerial Central Team) के निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से सत्यापित होते ही राशि जारी की जाए। यह किल्लत सोमवार, 12 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय पहुँची: तमिलनाडु ने कहा कि 6 अक्टूबर तक बिलीगुंडलु पर कर्नाटक के ज़िम्मे कावेरी का 11.719 हज़ार मिलियन घन फुट (tmc ft) पानी बकाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की: “बकाया तभी पाटा जा सकता है जब अतिरिक्त पानी हो।”

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))

1. सूखा राज्य घोषित करता है, साक्ष्य के आधार पर, चरणबद्ध ढंग से — केवल कम बारिश काफ़ी नहीं है। केंद्र की सूखा प्रबंधन नियमावली (Manual for Drought Management) के अनुसार राज्य पहले वर्षा-कमी और शुष्क अवधियों को देखता है, फिर प्रभाव-सूचकों को: बोया गया क्षेत्रफल, उपग्रह से मापी गई वनस्पति की सेहत, मृदा की नमी और जलाशयों का स्तर। इसके बाद चुने हुए गाँवों में ज़मीन पर जाँच होती है, तब जाकर किसी तालुके को मध्यम या गंभीर सूखा-प्रभावित घोषित किया जाता है।
2. राहत की राशि दो परतों में आती है — हर राज्य का एक राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) होता है, जिसमें अधिकांश धन वित्त आयोग के सूत्र के अनुसार केंद्र डालता है, और राज्य पहले खर्च इसी से करता है। गंभीर आपदा में वह केंद्र को ज़ापन भेजता है, अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल दौरा करता है, और केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति NDRF से अतिरिक्त राशि को मंजूरी देती है।
3. राहत मानकों से चलती है, नुकसान से नहीं — राशि प्रति हेक्टेयर तय होती है, किसान को वास्तव में कितना नुकसान हुआ इससे नहीं: वह उसे दोबारा बुवाई में मदद देती है, घाटा पूरा नहीं करती।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- SDRF / NDRF — राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष; खर्च पहले राज्य करता है, गंभीर आपदाओं में राष्ट्रीय कोष अतिरिक्त राशि देता है।
- अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (Inter-Ministerial Central Team, IMCT) — केंद्र के अधिकारी, जो केंद्रीय सहायता की मंजूरी से पहले आपदा का मौके पर आकलन करते हैं।
- सूखा घोषणा के सूचक (Drought declaration indicators) — वर्षा-कमी, बोया गया क्षेत्र, वनस्पति सूचकांक, मृदा की नमी और जल-भंडारण, जिनकी पुष्टि ज़मीन पर की जाती है।
- इनपुट सब्सिडी (Input subsidy) — उन किसानों को दी जाने वाली प्रति हेक्टेयर तय राहत, जिनकी फसल-हानि एक सीमा से ऊपर चली जाती है।
- संकट-वर्ष में बँटवारा (Distress-year sharing) — कुल प्रवाह सामान्य से कम होने पर नदी के पानी में हर राज्य का हिस्सा अनुपात से घटाना।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2015 के बाद सबसे कमज़ोर मानसून → कर्नाटक में 35% वर्षा-कमी → 240 में से 217 तालुके सूखा-प्रभावित → NDRF से ₹11,000 करोड़ की माँग → IMCT और उच्च-स्तरीय समिति का इंतज़ार → तमिलनाडु को कावेरी का कम पानी

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) दोनों कोष बनाता है — धारा 46 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की रचना करती है और धारा 48 हर राज्य को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष बनाने के लिए बाध्य करती है। SDRF का आवंटन वित्त आयोग तय करता है; केंद्र 75% देता है (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90%), जिस अनुपात को सोलहवें वित्त आयोग (2026-31) ने बनाए रखा। Swaraj Abhiyan v Union of India (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने सूखा नियमावली को अद्यतन करने का आदेश दिया था। 2. कावेरी का बँटवारा 2018 के निर्णय और एक प्राधिकरण के तहत होता है — अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State River Water Disputes Act, 1956) के तहत नदी विवादों का फ़ैसला अधिकरण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने फ़रवरी 2018 में कावेरी अधिकरण के 2007 के अधिनिर्णय में संशोधन किया, जिसमें सामान्य वर्ष में बिलीगुंडलू पर कर्नाटक का जल-प्रवाह 192 से घटाकर 177.25 tmc ft किया गया और केंद्र को योजना बनाने का निर्देश दिया गया; इसी के अंतर्गत 2018 में गठित कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery Water Management Authority) जल-निस्सरण लागू कराता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. क्या भारत की सूखा-राहत किसानों तक समय पर पहुँचती है, और कितनी मिले यह कौन तय करता है? — GS3 में “आपदा और आपदा प्रबंधन” तथा GS2 में “संघीय ढाँचे से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियाँ” आती हैं। तीन आयाम अपेक्षित हैं: सूखे की घोषणा, केंद्र-राज्य राहत-वित्त, और किल्लत में जल-बँटवारा।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● NDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत और SDRF का धारा 48 के तहत होता है। ● सूखे की घोषणा राज्य सरकार करती है, जो केंद्र की सूखा प्रबंधन नियमावली (Manual for Drought Management) का उपयोग करती है। ● कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के फ़रवरी 2018 के कावेरी निर्णय के बाद हुई थी।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. लेंस — संघवाद: राज्य NDRF को अधिकार मानते हैं, केंद्र उसे आरक्षित निधि, और देरी इन दोनों के बीच पलती है — राज्य की नज़र में NDRF ठीक ऐसे ही समय के लिए रखा गया धन है; केंद्र की नज़र में वह राष्ट्रीय आरक्षित निधि है जिसमें हर राज्य से समान व्यवहार होना चाहिए, इसलिए मानक और IMCT का दौरा। हर चरण अपने आप में उचित है, और सूखा नियमावली समय-सीमाएँ भी तय करती है (एक सप्ताह में IMCT, उसकी रिपोर्ट के एक माह के भीतर केंद्र का निर्णय), पर इनके टूटने पर कुछ नहीं होता। 2024 में केंद्र ने ₹18,000 करोड़ से अधिक की माँग के सामने ₹3,454 करोड़ जारी किए, और उससे पहले कर्नाटक को सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। केंद्र का सबसे मज़बूत उत्तर: घोषणाएँ कभी-कभी “राज्य की सहायता बढ़ाने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर की जाती रही हैं” (द हिंदू), और 240 में से 217 तालुके यानी दस में से नौ हैं। जाँच करना उचित है; पर ऐसी घड़ी पर जाँच करना, जिसे कोई चलाता ही नहीं, उचित नहीं। 2. लेंस — समानता: भूमि-अभिलेख के आधार पर राहत सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वालों को छोड़ देती है — इनपुट सब्सिडी एक सीमा से ऊपर के नुकसान पर अभिलेख में दर्ज मालिक को प्रति हेक्टेयर दी जाती है। पट्टे की ज़मीन पर कर्ज़ लेकर अरहर बोने वाला काश्तकार अक्सर इसके दायरे से बाहर रहता है, और मज़दूरी गँवाने वाला खेतिहर मज़दूर भी। द हिंदू का संपादकीय राज्यों से कहता है कि राहत को “भूमि-स्वामित्व से आगे” ले जाएँ और कर्ज़-ग्रस्तता कम करें। दूसरा पक्ष प्रशासनिक है: भूमि-अभिलेख ही सत्यापित हो सकने वाली एकमात्र सूची हैं, और अपजीकृत काश्तकारों को नकद देना धोखाधड़ी को न्योता देता है। यह तक काश्तकारी के पंजीकरण के पक्ष में जाता है, काश्तकारों को छोड़ देने के पक्ष में नहीं। 3. किल्लत बँटवारे को संघर्ष बना देती है, और जीतता है पेयजल — सूखे में कावेरी विवाद उस पानी का विवाद बन जाता है जो है ही नहीं। कर्नाटक का कहना है कि उसे अपने 57 tmc ft में से लगभग 45 पेयजल के लिए चाहिए; तमिलनाडु का कहना है कि उसकी सांबा फ़सल 11.719 tmc ft से वंचित है। सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का निर्णय पहले ही पेयजल को प्राथमिकता दे चुका था। मुकुल रोहतगी के माध्यम से तमिलनाडु की प्रत्युक्ति सिद्धांत रूप में सही है: “संकट के वर्ष में... आनुपातिक कटौती होनी ही चाहिए”, यानी बोझ किसी एक राज्य पर न पड़े। बकाये की लड़ाई से कहीं अधिक न्यायसंगत पारदर्शी संकट-सूत्र है।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: कर्नाटक और द हिंदू: सूखा वास्तविक है, SDRF उसका बोझ नहीं उठा सकता, और रबी की बुवाई के बाद पहुँची सहायता किसानों को कर्ज़ में धकेलती है। ● + पक्ष में: संघीय निष्पक्षता: NDRF गंभीर आपदाओं के लिए ही है, और तय समय-सारणी से यह संदेह मिट जाएगा कि राजनीति तय करती है कि राहत कितनी जल्दी

	मिले। ● – विपक्ष में: केंद्र: मानक और सत्यापन राष्ट्रीय कोष को बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों से बचाते हैं; कर्नाटक को पहले अपने SDRF का खर्च दिखाना होगा। ● – विपक्ष में: दीर्घकालीन आलोचक: जल-अनुशासन के बिना राहत बर्बादी को इनाम देती है; राज्य सूक्ष्म-सिंचाई की सलाह देते हैं पर कोई बाध्यकारी सीमा नहीं लगाते (द हिंदू)।
आगे की राह (WAY FORWARD)	1. NDRF की घड़ी को बाध्यकारी बनाएँ — केंद्रीय गृह और कृषि मंत्रालयों को ज्ञापन से निर्णय तक नियमावली की अपनी समय-सीमाओं का पालन करना चाहिए, देरी की रिपोर्ट देनी चाहिए, और जैसा द हिंदू माँगता है, IMCT के निष्कर्ष प्रकाशित करने चाहिए। 2. उन्हें भुगतान करें जो वास्तव में खेती करते हैं — राज्यों को काश्तकारों और बटाईदारों का पंजीकरण करना चाहिए ताकि इनपुट सब्सिडी और फ़सल बीमा उन तक पहुँचे। 3. जल-अनुशासन को बाध्यकारी बनाएँ — कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को भूजल उपयोग पर सलाह से आगे बढ़कर सीमाएँ लगानी चाहिए; संपादकीय नदी-जोड़ का इंतज़ार करने के बजाय इसी को वरीयता देता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	कर्नाटक द्वारा 2026 में NDRF सहायता के अनुरोध के संदर्भ में परीक्षण कीजिए कि भारत का सूखा-राहत ढाँचा किसानों को समय पर मदद देने में कहाँ तक सफल है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — देखिए कि व्यवस्था कैसे काम करती है और कहाँ विफल होती है; अंत में निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — गंभीर सूखे का सामना धीमी प्रक्रिया से — नमूना: लगभग 35% वर्षा-कमी के बाद कर्नाटक ने 240 में से 217 तालुकों को सूखा-प्रभावित घोषित कर NDRF से ₹11,000 करोड़ माँगे हैं, जो भारत के राहत ढाँचे की परीक्षा है। 3. मुख्य भाग — सूखे की घोषणा अब साक्ष्य-आधारित और सत्यापन-योग्य है — सूचक और ज़मीनी सत्यापन; Swaraj Abhiyan (2016) का उल्लेख करें। 4. मुख्य भाग — दो-स्तरीय वित्त-व्यवस्था ठोस है, पर धीमी — प्रवाह-आरेख बनाइए: घोषणा → SDRF → ज्ञापन → IMCT → उच्च-स्तरीय समिति → NDRF से राशि जारी, और प्रतीक्षा के चरण चिह्नित कीजिए। कर्नाटक 2024: अदालती मामले के बाद ₹3,454 करोड़। 5. मुख्य भाग — मानक मालिकों तक पहुँचते हैं, काश्तकारों और मज़दूरों तक नहीं — भूमि-अभिलेखों से जुड़ी प्रति हेक्टेयर इनपुट सब्सिडी; काश्तकार और मज़दूरों की हानि दायरे से बाहर। 6. मुख्य भाग — किल्लत अंतर-राज्यीय जल-संघर्ष में बदल जाती है — कावेरी: कर्नाटक की पेयजल आवश्यकताओं के सामने 11.719 tmc ft की माँग। 7. निष्कर्ष — केंद्र में समय-सीमा, राज्यों में काश्तकार-पंजी — नमूना: केंद्रीय गृह मंत्रालय को NDRF के दावों पर नियमावली की अपनी समय-सीमा में निर्णय लेना चाहिए और कर्नाटक को उन्हें भुगतान करना चाहिए जो वास्तव में खेती करते हैं, क्योंकि जो राहत बुवाई के बाद पहुँचे, वह राहत नहीं रहती।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. सूखा-घोषित तालुके के उपायुक्त (Deputy Commissioner) के रूप में, NDRF की कोई राशि आने से पहले आप पहले 30 दिनों में क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं NDRF की प्रतीक्षा भी कर सकता हूँ और ज़िले के पास जो है उससे काम भी शुरू कर सकता हूँ। प्रतीक्षा की क्रीम पेयजल और रबी का मौसम चुकाता है, इसलिए मैं कार्रवाई करूँगा। पहला, पेयजल: SDRF से टैंकर और बोरवेल की मरम्मत तथा गाँव-वार जल-योजनाएँ। दूसरा, मनरेगा (MGNREGA) के कार्य बढ़ाना ताकि मज़दूरों को पलायन न करना पड़े, और मवेशियों के लिए चारा बैंक। तीसरा, जियोटेग की हुई तस्वीरों के साथ फ़सल-हानि का सर्वे, जिसमें काश्तकार और बटाईदार भी शामिल हों, ताकि राज्य का ज्ञापन IMCT के सामने टिक सके। हितधारक हैं छोटे किसान, काश्तकार, मज़दूर और पशुपालक। निर्णायक सिद्धांत यह है कि पहला रुपया सबसे ज़्यादा दिखने वाली ज़रूरत पर नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरत पर लगे।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	सादगी (Austerity) — उद्घाटन-योग्य किसी परियोजना से पहले दुर्लभ SDRF राशि टैंकरों और चारे पर खर्च करना, और सर्वे ज़िला मुख्यालय से नहीं, गाँवों से चलाना।

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

व्यापार समझौता फीता काटने का समारोह नहीं है; वह एक औजार है, जो तभी काम करता है जब तिरुपुर का कोई बुनकर या मिडलैंड्स की कोई इंजीनियरिंग फर्म उसे सचमुच उठाकर इस्तेमाल करे। भारत-ब्रिटेन समझौते को लागू हुए तीन महीने हो चुके हैं और दोनों सरकारों ने जश्न मनाना छोड़कर नापना शुरू कर दिया है। हस्ताक्षर से उपयोग की ओर यह बदलाव ही भारत के नए व्यापार समझौतों की असली कहानी है।

4.1 CETA के बाद पहली भारत-ब्रिटेन व्यापार समिति बैठक: वार्षिक आँकड़ों का आदान-प्रदान और 2030 का लक्ष्य तय

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फॉर्मूला · श्रेणी 1 — भारत पर असर डालने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटना: व्यापार समझौता बुनकर या सॉफ्टवेयर फर्म को तभी लाभ देता है जब उसका उपयोग हो; यह बैठक उसी उपयोग को नापना शुरू करती है।

मुद्दा India-UK trade pact (CETA) (नया मुद्दा) दृष्टि (Lens) बाज़ार और राज्य · रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

अब तक की कहानी भारत और ब्रिटेन ने जुलाई 2025 में व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) पर हस्ताक्षर किए; इसके तहत भारत के अधिकांश निर्यात को ब्रिटेन में शून्य शुल्क पर प्रवेश मिलता है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के राज्य सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स ने सोमवार, 12 अक्टूबर को भारत-ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (JETCO) की सह-अध्यक्षता की। यह इस मंच का 16वाँ सत्र था (PIB) और 15 जुलाई को CETA लागू होने के बाद पहला (द इकोनॉमिक टाइम्स); दोनों बातें सही हैं। दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए कि समझौते के लागू होने के एक वर्ष बाद से हर साल इस बात के आँकड़े साझा किए जाएंगे कि समझौते का कितना उपयोग हो रहा है, जिनमें कम शुल्क के लिए फर्मों के दावे और उनकी प्रतिक्रिया शामिल होगी। PIB के अनुसार उन्होंने समितियाँ और कार्य-समूह भी गठित किए तथा उपयोग की संयुक्त समीक्षा शुरू की। ब्रिटेन ने 1 अरब पाउंड से अधिक के वाणिज्यिक सौदों की घोषणा की। गोयल ने कहा कि चावल और मुर्गीपालन उत्पादों को छोड़कर ब्रिटेन ने अपने बाज़ार का “99.99%” हिस्सा शून्य शुल्क पर खोल दिया है, और उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करने के लक्ष्य को दोहराया।

पहले समझें — पृष्ठभूमि
(FIRST, UNDERSTAND
(BACKGROUND))

1. व्यापार समझौता शुल्क घटाता है और साझा नियम तय करता है — मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement, FTA) दो देशों के बीच होने वाले अधिकांश माल पर सीमा शुल्क हटाता या घटाता है। CETA जैसा “व्यापक” समझौता कुछ सेवाओं को भी खोलता है, कारोबारी यात्रा आसान करता है और सीमा-शुल्क तथा मानकों पर साझा नियम तय करता है।
2. घटा हुआ शुल्क दावा करके लेना पड़ता है, और दावे की लागत होती है — यह कटौती एक तरजीही रियायत है, अपने-आप लागू नहीं होती। निर्यातक को साबित करना पड़ता है कि माल का “मूल” भारत है, यानी मूल्य या प्रसंस्करण का पर्याप्त हिस्सा यहीं हुआ है, और यह प्रमाण ब्रिटेन की सीमा पर देना होता है। यदि कागज़ी कार्रवाई की लागत बचाए गए शुल्क से अधिक बैठती है, तो फर्म सामान्य शुल्क ही चुका देती है।
3. असली कसौटी हस्ताक्षर नहीं, उपयोग है — बड़ी कंपनियाँ व्यापार-वकीलों की मदद से FTA का लाभ उठाती हैं; छोटी फर्मों को अक्सर पता ही नहीं होता कि उन पर कौन-सा नियम लागू होता है। इसीलिए सरकारें अब यह नापती हैं कि पात्र व्यापार का कितना हिस्सा कटौती का दावा करता है।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- CETA (व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता) — भारत-ब्रिटेन के बीच माल, सेवाओं और व्यापार-नियमों पर हुआ समझौता।
- मूल के नियम (Rules of origin) — वे शर्तें जिन्हें पूरा करने पर कोई उत्पाद साझेदार देश में बना माना जाता है, ताकि तीसरे देश का माल कम शुल्क का दावा न कर सके।
- FTA उपयोग दर (FTA utilisation rate) — समझौते के कम शुल्क के पात्र निर्यात का वह हिस्सा जो सचमुच उसका दावा करता है।
- संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (JETCO) — भारत-ब्रिटेन का मंत्रीस्तरीय व्यापार मंच।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

CETA लागू → शुल्क कटौती केवल दावा करने वाली फर्मों तक पहुँचती है → छोटी फर्में मूल-संबंधी कागज़ी झंझट से दावा छोड़ देती हैं → वार्षिक आँकड़े बताते हैं कि उपयोग कहाँ पिछड़ा → लक्षित सहायता से उपयोग बढ़ता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS)

1. CETA पर 2025 में हस्ताक्षर हुए, साथ में सामाजिक सुरक्षा समझौता भी — भारत और ब्रिटेन ने 24 जुलाई 2025 को CETA पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ दोहरे अंशदान पर एक अभिसमय

LINKAGE)	(Double Contribution Convention) भी तय हुआ : दूसरे देश में अस्थायी रूप से भेजे गए कामगार तीन वर्ष तक केवल अपने देश में सामाजिक सुरक्षा अंशदान देते हैं। ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से बाहर हुआ और 31 दिसंबर 2020 को संक्रमण काल समाप्त होने के बाद से अपनी व्यापार नीति स्वयं चला रहा है। 2. भारत के व्यापार समझौतों की नई पीढ़ी — 2019 में RCEP वार्ता से हटने के बाद भारत ने 2022 में भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (ECTA) लागू किए। भारत-EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) 1 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ, जिसमें 15 वर्ष में 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. व्यापार समझौता हस्ताक्षर होने पर सफल होता है या उपयोग होने पर ? — GS2 में “भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह एवं समझौते” पूछे जाते हैं। तीन आयामों की अपेक्षा रखें: छोटे निर्यातक FTA का कम उपयोग क्यों करते हैं, सेवाओं और आवाजाही का सौदा, और कार्बन सीमा कर जो शुल्क-लाभ को घटा सकते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● FTA में मूल के नियम व्यापार-विचलन को रोकते हैं: यानी तीसरे देश के माल को साझेदार देश के रास्ते भेजकर कम शुल्क का दावा करना। ● दोहरे अंशदान पर अभिसमय एक सामाजिक सुरक्षा समझौता है, जो अस्थायी रूप से भेजे गए कामगारों को दोनों देशों में अंशदान देने से बचाता है। ● EFTA के चार सदस्य स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेन्स्टाइन हैं; भारत-EFTA TEPA 1 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. वार्षिक आँकड़ों का आदान-प्रदान यह नापने का पहला ईमानदार पैमाना है कि CETA छोटी फ़र्मों तक पहुँचता है या नहीं — मूल-संबंधी कागज़ी कार्रवाई बड़े निर्यातक के लिए रोज़मर्रा की बात है, पर छोटे के लिए महँगी; इसलिए समझौता उदार दिखकर भी कम MSME तक पहुँच सकता है। PIB के अनुसार रेनॉल्ड्स ने MSME और पहली बार निर्यात करने वालों को मूल के नियमों और सीमा-शुल्क में मदद की ज़रूरत वाला वर्ग बताया, और गोयल ने तिरुपुर जैसी इकाइयों के लिए, जहाँ आवश्यक हो तमिल में, सरल भाषा की मार्गदर्शिकाएँ माँगीं। दूसरा पक्ष: कम उपयोग हमेशा विफलता नहीं होता। जहाँ ब्रिटेन का सामान्य शुल्क पहले ही शून्य के करीब था, वहाँ दावा न करना तर्कसंगत है, इसलिए आँकड़ों को उत्पाद-दर-उत्पाद पढ़ना होगा। 2. 2027 से ब्रिटेन का कार्बन सीमा कर इस्पात और एल्युमीनियम पर शुल्क-लाभ वापस छीन सकता है — कार्बन सीमा कर आयातकों से इस्पात जैसे माल में निहित उत्सर्जन का शुल्क वसूलता है। भारत का इस्पात कोयले पर अधिक निर्भर है, इसलिए शून्य शुल्क की भरपाई कार्बन शुल्क से हो सकती है। यूरोपीय संघ का शुल्क जनवरी 2026 से लागू हो चुका है और ब्रिटेन जनवरी 2027 से अपना शुल्क लाने की योजना बना रहा है। दूसरा पक्ष: ऐसे शुल्क जलवायु उपाय हैं, व्यापार-बाधाएँ नहीं, और हरित इस्पात अपनाने वाली भारतीय फ़र्मों को पुरस्कृत करते हैं, पर तभी जब ब्रिटेन भारत की कार्बन-लेखा पद्धति को मान्यता दे। 3. लेंस — रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी: भारत ने बाज़ार थोक में नहीं, चुने हुए चरणों में खोला — कारों पर गोयल ने कहा कि भारत केवल महँगे ब्रिटिश मॉडल, 80,000 पाउंड और उससे ऊपर के, “100, 200, 500” की संख्या में स्वीकार करता है और बिक्री बढ़ने पर निर्माताओं से भारत में उत्पादन की अपेक्षा रखता है। बदले में ब्रिटेन ने चावल और मुर्गीपालन उत्पादों को शून्य शुल्क से बाहर रखा। आपत्ति: हर समझौता बाध्यकारी नियम जोड़ता है जो आगे के विकल्प सीमित करते हैं, और साझेदार का घरेलू शुल्क रियायतों को निष्प्रभावी कर सकता है। स्वायत्तता पाठ में बची रहती है; उसकी परीक्षा क्रियान्वयन में होती है।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: वाणिज्य मंत्रालय और निर्यातक: ब्रिटेन के लगभग पूरे बाज़ार में शून्य शुल्क से वस्त्र और चमड़े जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को वास्तविक बढ़त मिलती है। ● + पक्ष में: ब्रिटेन सरकार और निवेशक: 1 अरब पाउंड से अधिक के सौदे कानूनी पाठ को अनुबंधों और रोज़गार में बदलते हैं। ● – विपक्ष में: MSME संगठन: मूल के नियमों में मदद के बिना लाभ उन बड़ी फ़र्मों को मिलेगा जो अनुपालन का खर्च पहले से उठा सकती हैं। ● – विपक्ष में: समझौते के आलोचक: सेवाओं के लाभ उन वीज़ा पर निर्भर हैं जिनका वादा ब्रिटेन नहीं करेगा, और ब्रिटेन का कार्बन शुल्क धातुओं पर शुल्क-बचत को रद्द कर सकता है।
आगे की राह (WAY)	1. उपयोग के आँकड़े उत्पाद-दर-उत्पाद प्रकाशित हों — वाणिज्य मंत्रालय को CETA के वार्षिक

FORWARD)	आँकड़े उत्पाद और राज्य के अनुसार प्रकाशित करने चाहिए, ताकि निर्यात परिषदें देख सकें कि कौन-से समूह (क्लस्टर) टाले जा सकने वाले शुल्क चुका रहे हैं। 2. मूल-संबंधी मदद को समूहों तक ले जाएँ — क्षेत्रीय भाषाओं में मार्गदर्शिकाएँ और सहायता केंद्र, जैसा दोनों मंत्रियों ने JETCO में आग्रह किया, ज़िला स्तर के निर्यात केंद्रों तक पहुँचें; नई समितियाँ भारत की कार्बन-लेखा पद्धति को ब्रिटेन से मान्यता दिलाने के लिए दबाव बना सकती हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“CETA एक न्यूनतम सीमा है, अधिकतम नहीं।” उन कारकों का परीक्षण कीजिए जो तय करेंगे कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता भारतीय निर्यातकों, विशेषकर MSME, को लाभ पहुँचाएगा या नहीं। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — देखिए कि समझौते के उपयोग में क्या सहायक है और क्या बाधक, साक्ष्य के साथ, और निर्णय दीजिए कि उसकी सफलता किस पर टिकी है। 2. प्रस्तावना — समझौता लागू है; उसका उपयोग ही कसौटी है — नमूना: भारत-ब्रिटेन CETA को लागू हुए तीन माह बीतने पर दोनों पक्ष इसके उपयोग के आँकड़े प्रतिवर्ष साझा करने पर सहमत हुए हैं, जो संकेत है कि समझौते का मूल्य हस्ताक्षर से नहीं, उपयोग से तय होगा। 3. मुख्य भाग — शुल्क कटौती उन्हीं को लाभ देती है जो उसका दावा कर सकें — मूल-संबंधी कागज़ी कार्रवाई MSME को रोकती है; मूल्य-वर्धन: रेनॉल्ट्स का JETCO में MSME और पहली बार निर्यात करने वालों की मदद का आह्वान। प्रवाह-चित्र बनाइए: कागज़ पर शुल्क कटौती → मूल का प्रमाण → ब्रिटेन की सीमा पर दावा → वास्तविक बचत, और दर्शाइए कि छोटी फ़र्में कहाँ छूट जाती हैं। 4. मुख्य भाग — कार्बन सीमा कर धातुओं पर शुल्क-लाभ घटा सकते हैं — 2027 से प्रस्तावित ब्रिटिश शुल्क का सामना भारत के कोयला-प्रधान इस्पात से होगा। 5. मुख्य भाग — भारत ने नपे-तुले चरणों में बाज़ार खोला — केवल महँगी कारें, थोड़ी संख्या में, ताकि उत्पादन भारत में खिंचे। 6. उपसंहार — पहले नापिए, फिर पिछड़ती फ़र्मों की मदद कीजिए — नमूना: वाणिज्य मंत्रालय को पहले CETA के आँकड़ों से उन समूहों की पहचान करनी चाहिए जो अनावश्यक शुल्क चुका रहे हैं, और उनकी अपनी भाषा में मूल-संबंधी सहायता उन तक पहुँचानी चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में आपके पास पहले आँकड़ा-आदान-प्रदान से पूर्व MSME में CETA का उपयोग बढ़ाने के लिए एक वर्ष है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मेरे विकल्प हैं: राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान, मूल-प्रमाणपत्रों पर सविस्ती, या जहाँ उपयोग सबसे कम है वहाँ लक्षित सहायता। अभियान उन फ़र्मों तक भी पहुँचेगा जो ब्रिटेन को कभी निर्यात ही नहीं करेंगी; सविस्ती कागज़ी कार्रवाई का खर्च तो उठाती है, पर उलझन दूर नहीं करती। मैं सीमा-शुल्क के आँकड़ों से शुरुआत करूँगा: ब्रिटेन जाने वाले वे उत्पाद खोजूँगा जो अब भी पूरा शुल्क चुका रहे हैं, उन्हें तिरुपुर जैसे समूहों से जोड़ूँगा, और निर्यात परिषदों तथा DGFT के क्षेत्रीय कार्यालयों को क्षेत्रीय भाषा की मार्गदर्शिकाओं के साथ वहीं भेजूँगा। हितधारक हैं छोटे निर्यातक, परिषदें, सीमा-शुल्क विभाग और ब्रिटिश खरीदार। निर्णायक सिद्धांत प्रभावशीलता है: प्रयास वहाँ लगे जहाँ कमी नापी गई हो, अनुमानित न हो।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	क्षमता (Ability) — कोई अभियान शुरू करने से पहले सीमा-शुल्क के आँकड़े पढ़कर यह पहचानना कि ब्रिटेन जाने वाले कौन-से उत्पाद अब भी पूरा शुल्क चुका रहे हैं, और उसके बाद ही सहायता की रूपरेखा बनाना।

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

आज की दोनों खबरें नीति की लड़ाई से पहले प्रमाणों की लड़ाई हैं। अदीस अबाबा में सरकारें इस पर भिड़ी हैं कि दुनिया का जलवायु-विज्ञान कब तैयार हो और उसमें किसका शोध शामिल हो; पश्चिमी घाट में छह राज्य इस पर उलझे हैं कि क्या उपग्रह-मानचित्र जंगल और खेत में फर्क कर सकते हैं। दोनों जगह जिस पक्ष के हाथ में प्रमाण होंगे, वही नियम की शक्ति तय करेगा।

5.1 अदीस अबाबा में IPCC सदस्यों के बीच अगले जलवायु आकलनों की समय-सीमा पर गतिरोध

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 1 — भारत पर असर डालने वाली अंतरराष्ट्रीय घटना: दुनिया के जलवायु-निर्णय और भारत की मानसून-योजना भी IPCC की रिपोर्टों पर टिकी हैं; देरी से यह बदल जाता है कि सरकारों को किस बात का जवाब देना होगा।

मुद्दा IPCC's seventh assessment cycle (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित · रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

अब तक की कहानी IPCC का छठा चक्र मार्च 2023 में समाप्त हुआ और उसी वर्ष के पहले वैश्विक स्टॉकटेक में काम आया। लगभग तीन वर्षों से सदस्य इस पर बहस कर रहे हैं कि सातवें चक्र की रिपोर्टें कब आनी चाहिए।

समाचार (THE NEWS) अदीस अबाबा। द हिंदू (रॉयटर्स के हवाले से) के अनुसार, IPCC के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को 12 अक्टूबर को इथियोपिया की राजधानी में एक पूर्ण अधिवेशन (प्लेनरी) के लिए जुटना था, जिसे कई लोग नवंबर 2028 की संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता से पहले प्रकाशन-तिथियाँ तय करने का आखिरी मौका मानते हैं; उस वार्ता में सरकारें पेरिस लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन करेंगी। यह गतिरोध “अभूतपूर्व” है। काम की अध्यक्षता कर रहे वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है कि तीनों रिपोर्टें, यानी तापमान वृद्धि के कारणों पर, संवेदनशीलता एवं अनुकूलन पर, और तापमान वृद्धि थामने के उपायों पर, सितंबर 2028 तक स्वीकृत हो जाएँ; सह-अध्यक्ष रॉबर्ट वोतियर के अनुसार यह कार्यभार के हिसाब से है, शिखर-वार्ता के हिसाब से नहीं। विरोधी चाहते हैं कि दूसरी और तीसरी रिपोर्टें 2029 में चली जाएँ। भारत, केन्या, सऊदी अरब, रूस और चीन अधिक समय चाहते हैं ताकि कम संसाधनों वाले देशों के वैज्ञानिक भी योगदान दे सकें। IPCC को सबसे अधिक धन देने वाला अमेरिका जनवरी में इससे बाहर हो गया। भारत के प्रतिनिधि थियागराजन जयरामन ने रिपोर्टों को 2028 से जोड़ने को “अदूरदर्शी” कहा।

पहले समझे — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))

- 1. IPCC विज्ञान की समीक्षा करता है, उसे पैदा नहीं करता** — अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) अपने कोई प्रयोग नहीं करता। हर कुछ वर्षों में स्वयंसेवी वैज्ञानिक प्रकाशित शोध पढ़ते हैं और आकलन करते हैं कि क्या ज्ञात है, कितने भरोसे से ज्ञात है और क्या अनिश्चित है। देश जलवायु संधियों पर इसी साझा तथ्य-आधार पर वार्ता करते हैं।
- 2. तीन कार्य-समूह, और एक सारांश जिस पर सरकारें मुहर लगाती हैं** — कार्य-समूह I तापमान वृद्धि के भौतिक विज्ञान को, समूह II प्रभावों, अनुकूलन और संवेदनशीलता को तथा समूह III शमन (Mitigation) को, यानी उत्सर्जन घटाने को देखता है। हर रिपोर्ट के साथ एक छोटा नीति-निर्माताओं के लिए सारांश होता है, जिसे सरकारों के प्रतिनिधि लेखकों के साथ बैठकर पंक्ति-दर-पंक्ति स्वीकृत करते हैं। इससे वह प्रामाणिक भी बनता है और राजनीतिक भी।
- 3. कैलेंडर क्यों मायने रखता है** — पेरिस समझौते के तहत देश हर पाँच वर्ष में अपनी सामूहिक प्रगति की समीक्षा करते हैं। अगला स्टॉकटेक 2028 में पूरा होगा। जो रिपोर्ट इस समय-सीमा से चूक गई, उसके कारण वार्ताकारों को छूटे चक्र के पुराने विज्ञान पर ही काम चलाना पड़ेगा।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- आकलन चक्र (Assessment cycle) — छह से आठ वर्ष की वह अवधि जिसमें IPCC कार्य-समूहों की रिपोर्टों का पूरा समूह और एक संश्लेषण रिपोर्ट तैयार करता है।
- नीति-निर्माताओं के लिए सारांश (Summary for Policymakers, SPM) — IPCC रिपोर्ट का संक्षिप्त सार, जिसे सदस्य सरकारें पंक्ति-दर-पंक्ति स्वीकृत करती हैं।
- वैश्विक स्टॉकटेक (Global stocktake) — पेरिस समझौते के तहत हर पाँच वर्ष में होने वाली वह समीक्षा, जो उसके लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति परखती है।
- साझा कितु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC) — सभी देश जलवायु पर कार्रवाई करें, पर अधिक संपन्न और ऐतिहासिक रूप से बड़े उत्सर्जक देश अधिक ज़िम्मा उठाएँ।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

गरीब देशों के वैज्ञानिक कम और देर से प्रकाशित करते हैं → भारत और अन्य दो रिपोर्टों के लिए 2029 माँगते हैं → सर्वसम्मति का नियम सह-अध्यक्षों की 2028 की योजना को अटका देता है → 2028 का स्टॉकटेक IPCC के नए निष्कर्षों के बिना ही आगे बढ़ सकता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS)

- 1. IPCC सरकारों का निकाय है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई** — विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने 1988 में IPCC की स्थापना की।

LINKAGE)	इसके 195 सदस्य देश हैं और इसने 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार अल गोर के साथ साझा किया। 2. पेरिस अनुच्छेद 14 और समता का सिद्धांत — पेरिस समझौते (2015) का अनुच्छेद 14 हर पाँच वर्ष में सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान के आधार पर वैश्विक स्टॉकटेक का प्रावधान करता है; पहला स्टॉकटेक 2023 में दुबई के COP28 में पूरा हुआ। UNFCCC (1992) के दायित्व साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं पर टिके हैं, जिसे पेरिस “अलग-अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रकाश में” परिमार्जित करता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. जलवायु संबंधी दायित्वों को गढ़ने वाला जलवायु-विज्ञान कौन गढ़ेगा? — GS2 में “महत्वपूर्ण अंतराष्ट्रीय संस्थान, अभिकरण और मंच — उनकी संरचना, अधिदेश” पूछा जाता है; GS3 में “संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण”। तीन आयामों की अपेक्षा रखें: ज्ञान के उत्पादन में समता, वार्ताओं के मुकाबले विज्ञान की समय-सारणी, और किसी बड़े सदस्य के हटने के बाद बहुपक्षीय निकायों का वित्तपोषण।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● IPCC की स्थापना 1988 में WMO और UNEP ने की थी; यह प्रकाशित साहित्य का आकलन करता है, मौलिक शोध नहीं करता। ● IPCC का कार्य-समूह I भौतिक विज्ञान के आधार का, समूह II प्रभावों, अनुकूलन और संवेदनशीलता का तथा समूह III शमन का आकलन करता है। ● वैश्विक स्टॉकटेक का प्रावधान पेरिस समझौते के अनुच्छेद 14 में है और यह हर पाँच वर्ष में होता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. भारत की समय की माँग देरी के लिए देरी नहीं, इस बारे में है कि प्रमाण कौन लिखे — कोई भी आकलन केवल पहले से प्रकाशित शोध का हवाला दे सकता है। यदि गरीब देशों के वैज्ञानिक कम और देर से प्रकाशित करते हैं, तो उनके क्षेत्रों की बाढ़, गर्मी और फसल-हानि का ज़िक्र फीका रह जाता है, और कड़ी समय-सीमा इस कमी को पक्का कर देती है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे वैज्ञानिकों को समय पर प्रकाशन करने या IPCC के अवैतनिक काम के लिए छुट्टी लेने में कठिनाई होती है; जयरामन कहते हैं कि समता और समावेश को “सीधे-सीधे टाल दिया जाता है”। दूसरा मत यह है कि एक और साल उस साहित्य को पैदा नहीं कर देता जो मौजूद ही नहीं है। समय तभी काम आता है जब उसके साथ वैश्विक दक्षिण के लेखकों के लिए धन भी हो। 2. तेज़ी की ज़रूरत उन्हें सबसे ज़्यादा है जो पहले से पीड़ित हैं, पर विवाद विज्ञान के केवल एक हिस्से पर है — संवेदनशील देश 2028 से पहले अनुकूलन का नया विज्ञान चाहते हैं, क्योंकि स्टॉकटेक जलवायु-वित्त और राष्ट्रीय लक्ष्यों को दिशा देता है, और कड़ी कार्रवाई के पक्षधर गठबंधन को फिसलन की चिंता है। फिर भी विरोधी केवल दूसरी और तीसरी रिपोर्ट को 2029 में ले जाना चाहते हैं। भौतिक-विज्ञान की रिपोर्ट अब भी स्टॉकटेक तक पहुँच सकती है। आपत्ति यह है कि अनुकूलन और शमन ही तो वे विषय हैं जिन पर वार्ताकार बहस करते हैं। बँटी हुई समय-सारणी एक समझौता है, समाधान नहीं। 3. लेंस — राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा संपदा: साझा विज्ञान सबका दिखना चाहिए — जलवायु जैसी वैश्विक साझा संपदा के लिए एक सहमत प्रमाण-आधार चाहिए, वरना हर देश अपने तथ्य चुन लेगा। यह आधार तभी वैध है जब हर क्षेत्र उसमें अपनी झलक देखे। सबसे बड़ा वित्तदाता अमेरिका बाहर हो चुका है और जलवायु नीति के आलोचक सरकारें पैनल पर दबाव डाल रही हैं, इसलिए IPCC पहले से कमज़ोर और अधिक असुरक्षित है। भारत के रुख के विरुद्ध सबसे मज़बूत आपत्ति यह है कि देरी चाहने वाले कुछ सदस्य, जैसे तेल उत्पादक, शायद कमज़ोर निष्कर्ष चाहते हों, और भारत उन्हीं के साथ खड़ा दिखने का जोखिम उठाता है। भारत को दिखाना होगा कि उसका उद्देश्य समावेश है, पानी मिलाना नहीं।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: भारत, केन्या और अन्य: अधिक समय मिलने से कम संसाधनों वाले देशों के वैज्ञानिक योगदान दे पाएँगे, और रिपोर्टों में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र भी दिखेंगे। ● + पक्ष में: जयरामन का तर्क: IPCC का मूल्य किसी एक शिखर-वार्ता पर निर्भर नहीं है; जल्दबाज़ी में बनी जो रिपोर्ट समता को टाल दे, वह किसी के काम की नहीं। ● – विपक्ष में: सह-अध्यक्ष: सितंबर 2028 की योजना कार्यभार के अनुरूप है, और रिपोर्टों की समय-सारणी आमतौर पर मिनटों में स्वीकृत हो जाती है। ● – विपक्ष में: कड़ी कार्रवाई पर ज़ोर देने वाले देश: नई रिपोर्टों के बिना 2028 का स्टॉकटेक, जो वित्त और नए लक्ष्यों को दिशा देता है, पुराने विज्ञान पर टिका रहेगा।
आगे की राह (WAY FORWARD)	1. रिपोर्ट-दर-रिपोर्ट बीच का रास्ता निकालें, शर्तों के साथ — सदस्य भौतिक-विज्ञान की रिपोर्ट को 2028 के लिए स्वीकृत कर सकते हैं और बाक़ी दो के लिए 2029 की पक्की तिथियाँ तय कर सकते हैं, साथ ही स्टॉकटेक के लिए अंतरिम योगदान की व्यवस्था रख सकते हैं।

	2. केवल बैठकों को नहीं, लेखकों को धन दें — भारत सहित योगदान देने वाली सरकारें वैश्विक दक्षिण के वैज्ञानिकों के लेखन-समय और शोध-सहायता के लिए धन दे सकती हैं, ताकि अतिरिक्त समय से अधिक स्वर सामने आएँ।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	IPCC की अगली आकलन रिपोर्टों की समय-सारणी पर विवाद किस सीमा तक जलवायु समता का प्रश्न है? चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — किस सीमा तक — परखिए कि विवाद कितना समता का है और कितना अन्य हितों का। 2. भूमिका — गतिरोध और 2028 की समय-सीमा — नमूना: 12 अक्टूबर को अदीस अबाबा में जुटे IPCC सदस्य अब भी इस पर बँटे रहे कि अगले आकलन 2028 के वैश्विक स्टॉकटेक के लिए तैयार हों या नहीं। 3. मुख्य भाग — मुख्यतः समता: आकलन में किसका शोध आता है — कम संसाधनों वाले देशों के वैज्ञानिक कम और देर से प्रकाशित करते हैं; मूल्यवर्धन: IPCC में भारत के प्रतिनिधि का कथन कि समता और समावेश को “सीधे-सीधे टाल दिया जाता है”। 4. मुख्य भाग — आंशिक रूप से तात्कालिकता: स्टॉकटेक वित्त और लक्ष्यों को दिशा देता है — समय-रेखा बनाइए: IPCC रिपोर्ट → 2028 का स्टॉकटेक → अगले राष्ट्रीय लक्ष्य, और दिखाइए कि 2029 की रिपोर्ट कहाँ इससे बाहर पड़ती है। 5. मुख्य भाग — आंशिक रूप से राजनीति: देरी चाहने वाले कुछ देश कमज़ोर निष्कर्ष चाह सकते हैं — जलवायु नीति के आलोचक सरकारों का दबाव और अमेरिका का बाहर होना। 6. निष्कर्ष — समावेश के लिए धन दिया जाए, केवल देरी नहीं — नमूना: भारत को बँटी हुई समय-सारणी का समर्थन करना चाहिए और वैश्विक दक्षिण के लेखकों को धन देना चाहिए, ताकि अतिरिक्त समय से रिपोर्ट केवल देर से नहीं, बल्कि अधिक न्यायसंगत बनकर आए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप अदीस अबाबा अधिवेशन में भारत के मुख्य वार्ताकार हैं। आप कौन-सा रुख अपनाएँगे, और आपकी लक्ष्मण-रेखाएँ क्या होंगी? दृष्टिकोण (Approach): मेरे विकल्प हैं: 2028 की किसी भी तिथि को रोक देना, सह-अध्यक्षों की योजना मान लेना, या बँटी हुई समय-सारणी प्रस्तावित करना। रोकने से भारत उन सदस्यों के पास खड़ा हो जाएगा जो कमज़ोर विज्ञान चाहते हैं; मान लेने से समता की एक वास्तविक चिंता छूट जाती है। मैं भौतिक-विज्ञान की रिपोर्ट के लिए 2028 और बाकी दो के लिए 2029 की पक्की तिथियाँ प्रस्तावित करूँगा, साथ में स्टॉकटेक के लिए अंतरिम योगदान और वैश्विक दक्षिण के लेखकों के लिए वित्तपोषित सहायता। मेरी लक्ष्मण-रेखाएँ: ऐसी कोई समय-सारणी नहीं जो विकासशील देशों के शोध को बाहर कर दे, और सारांश की भाषा में से समता न हटे। हितधारक हैं भारतीय वैज्ञानिक, संवेदनशील देश और भारत की साख। निर्णायक सिद्धांत साझा विज्ञान की निष्ठा है: वह सब पर तभी बाध्यकारी है जब सब उसमें शामिल हों।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	गुमनामी (Anonymity) — समझौते को सह-अध्यक्षों या किसी समूह के नाम से आगे बढ़ने देना, ताकि “भारत ने रिपोर्ट रोकी” जैसी सुर्खी बने बिना भारत का उद्देश्य सफल हो जाए।

5.2 पश्चिमी घाट का सातवाँ ESA मसौदा, 56,825.7 वर्ग किमी, छह राज्यों के विरोध के घेरे में

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (कडी 3) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण

अब तक की कहानी मसौदे में कर्नाटक के दस ज़िलों में 20,668 वर्ग किमी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र का प्रस्ताव है; कर्नाटक ने इसके विरुद्ध विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया, और केरलम ने अपना हिस्सा घटाकर 8,590.69 वर्ग किमी करने की माँग की।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। डाउन टू अर्थ (12 अक्टूबर) के अनुसार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 [Environment (Protection) Act, 1986] के तहत 27 जुलाई 2026 को जारी केंद्र की सातवीं मसौदा अधिसूचना पर आपत्तियों की 60 दिन की अवधि समाप्त हो गई है, और आपत्तियों की जाँच कर रही विशेषज्ञ समिति को जुलाई 2027 तक का समय दिया गया है। मसौदा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में 56,825.7 वर्ग किमी को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area) घोषित करेगा: ऐसा क्षेत्र जहाँ नुकसानदेह गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं। इसमें नए खनन, पत्थर-खदान और रेत-खनन पर रोक है, मौजूदा खदानों को पाँच वर्ष में चरणबद्ध ढंग से बंद किया जाएगा, साथ ही नए ताप-विद्युत संयंत्रों, लाल श्रेणी (सबसे अधिक प्रदूषणकारी) के उद्योगों और 20,000 वर्ग मीटर या उससे बड़ी इमारतों पर भी रोक है। इससे कोई निजी भूमि अधिगृहीत नहीं होती और न कृषि पर रोक लगती है। कर्नाटक के विधानमंडल ने 22 सितंबर को इसे सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया; महाराष्ट्र और गोवा अपवर्जन चाहते हैं, और तमिलनाडु सीमाओं पर सवाल उठाता है।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS3 में “संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन” शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आजीविका को चोट पहुँचाए बिना एक नाजुक पर्वतमाला की रक्षा कैसे हो, और पिछले छह मसौदे राज्यों के विरोध में क्यों समाप्त हो गए। प्रारंभिक परीक्षा में मूल अधिनियम, दोनों विशेषज्ञ पैनलों और छह राज्यों से प्रश्न बनते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की अधिसूचना केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पढ़कर करती है। ● गाडगिल पैनल (पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, 2011) ने पूरी पर्वतमाला की रक्षा का पक्ष लिया; कस्तूरीरंगन उच्च-स्तरीय कार्य-समूह (2013) ने लगभग 37% क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील बताने का प्रस्ताव दिया। ● पश्चिमी घाट को 2012 में UNESCO विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Areas) · गाडगिल बनाम कस्तूरीरंगन रिपोर्ट (Gadgil vs Kasturirangan reports) ● इनकी छोटी व्याख्या : upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

6. स्वास्थ्य एवं जीव-विज्ञान (Health & Life Sciences)

इलाज की क्रीमत का सवाल अब अदालतों से निकलकर नियमों में पहुँच रहा है। सर्वोच्च न्यायालय अब केवल यह नहीं पूछता कि कैंसर की दवाएँ इतनी महँगी क्यों हैं; वह यह भी पूछता है कि मार्जिन का नियम एक ही बीमारी पर क्यों रुक जाए। उधर केंद्र राज्यों को याद दिला रहा है कि मरीज को बिल थमाए जाने से पहले अस्पताल की दरें दिखनी चाहिए।

6.1 सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा: हर दवा का MRP 16% खुदरा विक्रेता मार्जिन के भीतर क्यों नहीं रखा जा सकता

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा कैंसर दवाओं की वहनीयता (कडी 5) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता

अब तक की कहानी सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसर की दवाओं पर दस गुना मुनाफ़ाखोरी को “दिन-दहाड़े डकैती” कहा था। NPPA को व्यापार मार्जिन औसतन लगभग 170% मिलने के बाद केंद्र ने कहा कि वह गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30% पर सीमित करेगा।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र की कैंसर-दवा मार्जिन की 30% सीमा को सराहनीय पर अपर्याप्त बताया, और पूछा कि औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 [Drugs (Prices Control) Order, 2013] के तहत सभी दवाओं और उपकरणों को 16% खुदरा विक्रेता मार्जिन के दायरे में क्यों नहीं लाया जा सकता। यह मार्जिन खुदरा विक्रेता को मिलने वाली क्रीमत (जो केमिस्ट चुकाता है) और MRP के बीच का अंतर है। पीठ ने ऐसे भारत-निर्मित हृदय स्टेंट का हवाला दिया जिसकी लागत लगभग ₹5,000 है और जिसे अस्पताल ₹25,000 से अधिक में बेचते हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने एकसमान सीमा के प्रति आगाह किया; केंद्र के पास कार्यविधि तय करने के लिए 27 अक्टूबर तक का समय है। अलग से, स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों से कहा कि वे क्लिनिकल प्रतिष्ठानों से हर सेवा की दर स्थानीय भाषा और अंग्रेज़ी में प्रदर्शित करवाएँ।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS2 — स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे। 9 अक्टूबर के कार्ड के बाद नया: न्यायालय जाँच रहा है कि मार्जिन का नियम सभी दवाओं पर लागू हो, केवल एक बीमारी पर नहीं। मेन्स का कोण: मूल्य नियंत्रण बनाम आपूर्ति और नवाचार, तथा जेब से होने वाला खर्च। प्रारंभिक परीक्षा: दवा मूल्य नियंत्रण का विधिक आधार।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) के तहत जारी हुआ है और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA, स्थापना 1997) इसे लागू करता है। ● अनुसूचित फ़ॉर्मूलेशन, जो आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची से लिए जाते हैं, पर अधिकतम मूल्य की सीमा लागू होती है; गैर-अनुसूचित दवाएँ पिछले बारह महीनों की तुलना में अपना MRP अधिकतम 10% बढ़ा सकती हैं (पैराग्राफ़ 20)। ● DPCO 2013 का पैराग्राफ़ 19 सरकार को असाधारण परिस्थितियों में, जनहित में, किसी भी दवा की क्रीमत या मार्जिन तय करने देता है।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● व्यापार मार्जिन का युक्तिकरण (Trade margin rationalisation) · आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (National List of Essential Medicines) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

दो खबरें, एक सबक: प्रौद्योगिकी नीति अब घोषणाओं की नहीं, क्रियान्वयन की बात है। RDI कोष ने आखिरकार निजी हाथों में पैसा पहुँचा दिया है, जिससे परखा जाएगा कि धैर्यवान पूँजी प्रयोगशाला और बाज़ार के बीच की खाई पार करा सकती है या नहीं। महाराष्ट्र ने पूछा है कि डेटा सेंटरों को रिझाने से पहले यह देखा जाए कि वे किसी शहर से क्या छीनते हैं — और ईमानदार उत्तर सर्वर-कक्ष से नहीं, बिजलीघर से शुरू होता है।

7.1 ₹1 लाख करोड़ के RDI कोष ने अपने पहले 19 द्वितीय-स्तरीय कोष प्रबंधक चुने

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) कोष (कडी 2) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय

अब तक की कहानी नवंबर 2025 में शुरू हुआ ₹1 लाख करोड़ का RDI कोष ANRF और निजी कोष प्रबंधकों के माध्यम से निजी डीप-टेक फ़र्मों को ऋण देता है। अब तक केवल प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने ऋण दिया था, और उसका धन अप्रैल में समाप्त हो गया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। PIB के अनुसार अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (Research, Development and Innovation, RDI) कोष ने अपने पहले 19 द्वितीय-स्तरीय कोष प्रबंधक चुन लिए हैं: सचिवों के अधिकार-प्राप्त समूह ने 8 अक्टूबर को 14 वैकल्पिक निवेश कोषों (निजी तौर पर जुटाए गए निवेश माध्यम) और 5 केंद्रित अनुसंधान संगठनों को मंजूरी दी, जिनमें RDI की प्रतिबद्धता ₹7,131 करोड़ की है; हर एक को उतनी ही निजी पूँजी जुटानी होगी। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने बेंगलुरु की पेप्टिड्स टेक्नोलॉजीज़ के साथ ₹86 करोड़ का सौदा भी किया, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण (ऐसा ऋण जो इक्विटी में बदल सकता है) के रूप में, ताकि AI से खोजी गई चार औषधि-उम्मीदवारों को प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर 4 से 6 तक ले जाया जा सके। पैमाने के बारे में ICMR की कामिनी वालिया (द इंडियन एक्सप्रेस) भारत का R&D व्यय GDP का लगभग 0.64% बताती हैं; नीति आयोग के अभय करंदीकर इसे लगभग 0.84% बताते हैं।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी
(WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)

GS3 — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। अब जबकि पैसा निजी मध्यस्थों तक पहुँच रहा है, मुख्य परीक्षा का प्रश्न रूपरेखा से क्रियान्वयन की ओर खिसक गया है: क्या बराबरी की निजी पूँजी प्रौद्योगिकियों को प्रोटोटाइप और बाज़ार के बीच की “मृत्यु की घाटी” पार करा सकती है, और क्या ऋण उच्च जोखिम वाले अनुसंधान के अनुकूल है?

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- ANRF अधिनियम, 2023 ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन (Anusandhan National Research Foundation, ANRF) बनाया और विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 को निरस्त किया।
- RDI योजना (मंत्रिमंडल की मंजूरी, जुलाई 2025) के दो स्तर हैं: ANRF के भीतर एक विशेष प्रयोजन कोष, और द्वितीय-स्तरीय कोष प्रबंधक जो मुख्यतः दीर्घकालिक कम या शून्य ब्याज वाले ऋणों से फ़र्मों को वित्त देते हैं।
- प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर 1 (मूल सिद्धांत) से 9 (संचालन में सिद्ध) तक चलते हैं; RDI कोष TRL 4 और उससे ऊपर को सहारा देता है।

जानने योग्य अवधारणाएँ
(CONCEPTS TO KNOW)

- अनुसंधान नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन (Anusandhan National Research Foundation) • अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (Gross expenditure on R&D, GERD)
- इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

7.2 डेटा सेंटरों के पानी और बिजली पर दबाव का अध्ययन करेगी महाराष्ट्र की काकोडकर समिति

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा डेटा सेंटर और बिजली ग्रिड (कडी 2) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण

अब तक की कहानी भारत AI डेटा सेंटरों को लुभा रहा है, जिनके भार का अनुमान योजनाकार अब लगा रहे हैं (CEA के अनुमान से 2031-32 तक लगभग 17 GW); AI की माँग ने पूर्वोत्तर ग्रिड-नियंत्रण उन्नयन की लागत ₹521 करोड़ से बढ़ाकर लगभग ₹688 करोड़ कर दी।

समाचार (THE NEWS) मुंबई, 12 अक्टूबर। महाराष्ट्र ने परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में 17 सदस्यों की एक समिति गठित की है, जो अध्ययन करेगी कि डेटा सेंटर पानी, बिजली, वायु गुणवत्ता, ध्वनि, ऊष्मा उत्सर्जन और स्थानीय समुदायों को कैसे प्रभावित करते हैं। उद्योग, निवेश, सेवा एवं खनन विभाग के सरकारी संकल्प ने इसे रिपोर्ट देने के लिए तीन माह दिए हैं; यह जल के पुनर्उपयोग और वैकल्पिक शीतलन पर दिशानिर्देश सुझाएगी तथा परियोजनाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा बनाएगी। सदस्यों में CSIR-NEERI के निदेशक तथा यॉटो और अमेज़न वेब सर्विसेज़ के अधिकारी शामिल हैं। पानी की बड़ी खपत संयंत्र के बाहर हो सकती है: ET में उद्धृत ब्लूमबर्ग के अनुसार 2024 में मेटा द्वारा उपयोग किए गए 21 अरब गैलन पानी का लगभग 96% परीक्षा था — यानी उसकी बिजली बनाने वाले बिजलीघरों में लगा पानी — और केवल 4% प्रत्यक्ष था, जो अधिकतर उसके डेटा सेंटरों की शीतलन में गया।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी

GS3 — अवसंरचना: ऊर्जा; संरक्षण। 11 अक्टूबर के कार्ड के बाद नया यह है कि एक राज्य डेटा

(WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	सेंटरों को जल-संबंधी प्रश्न के रूप में भी देख रहा है। मुख्य परीक्षा का कोण: जल-ऊर्जा संबंध (नेक्सस) — नवीकरणीय बिजली और उपचारित अपशिष्ट जल के निकट स्थापना दोनों पदचिह्न घटाती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● विद्युत उपयोग प्रभावशीलता (Power Usage Effectiveness, PUE) संपूर्ण सुविधा की ऊर्जा को IT उपकरणों में प्रयुक्त ऊर्जा से भाग देने पर मिलती है; 1.0 आदर्श मान है। ● जल उपयोग प्रभावशीलता (Water Usage Effectiveness, WUE) वार्षिक स्थल जल-उपयोग (लीटर में) को IT उपकरणों की ऊर्जा (kWh में) से भाग देने पर मिलती है; इसमें केवल प्रत्यक्ष जल गिना जाता है, बिजलीघर में प्रयुक्त जल नहीं। ● इंडिया AI मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 में ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय से मंजूरी दी; रियायती GPU कंप्यूट इसके स्तंभों में से एक है।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● डेटा सेंट्रों की विद्युत एवं जल उपयोग प्रभावशीलता (Power and water usage effectiveness) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

8. समाज (Society)

भारत में बुजुर्ग उस रफ्तार से बढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से परिवार बड़े नहीं हो रहे। संयुक्त परिवार बिना किसी नाम के देखभाल-व्यवस्था का काम करता था; आज वही काम बिना प्रशिक्षण और बिना वेतन के, ज्यादातर महिलाओं पर आ पड़ा है। केरलम का विधेयक किसी राज्य की ओर से पहली कोशिश है कि देखभाल को एक विनियमित, प्रमाणित पेशा बनाया जाए।

8.1 2050 तक भारत में बुजुर्ग 34.7 करोड़ होंगे, उधर केरलम देखभालकर्ताओं को प्रमाणित करने की ओर

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा Ageing India and elder care (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** परंपरा और सामाजिक न्याय

अब तक की कहानी बजट 2026-27 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (National Skills Qualifications Framework) के तहत 1.5 लाख देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण की घोषणा हुई थी; नीति आयोग की अगस्त 2026 की रिपोर्ट "Reimagining Care" ने देखभाल को आर्थिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया।

समाचार (THE NEWS) तिरुवनंतपुरम, 12 अक्टूबर। केरलम 13 अक्टूबर को वरिष्ठ नागरिक (देखभाल एवं संरक्षण) विधेयक, 2026 [Senior Citizens (Care and Protection) Bill, 2026] पेश करने जा रहा है। इसमें वृद्ध-देखभाल केंद्रों का पंजीकरण और विनियमन, एक राज्य वरिष्ठ नागरिक संरक्षण इकाई और हर ज़िले में संरक्षण मंच की स्थापना, देखभालकर्ताओं के लिए "केरलम जेरिएट्रिक केयर सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क" का निर्माण और "देखभालकर्ताओं के राज्य रजिस्टर" का प्रस्ताव है। यह सब 'एजिंग इन प्लेस' (घर में ही बुढ़ापा बिताने) के सिद्धांत पर आधारित है। द हिंदू में पूर्व LIC अधिकारी टी.सी. सुसील कुमार और आर. सुधाकर 1.5 लाख प्रशिक्षुओं को ऊंट के मुँह में जीरा बताते हैं: उनके आंकड़ों के अनुसार भारत की 60 वर्ष से अधिक आयु की आबादी, जो 2022 में लगभग 14.9 करोड़ थी, 2050 तक 34.7 करोड़ हो जाएगी। उनके द्वारा उद्धृत NSO के आँकड़े बताते हैं कि महिलाएँ अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य में प्रतिदिन 299 मिनट लगाती हैं, जबकि पुरुष 97 मिनट।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS1 — जनसंख्या संबंधी मुद्दे, महिलाओं की भूमिका; GS2 — समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण। मुख्य परीक्षा का कोण: देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) — देखभाल कल्याण है या कुशल कार्य, इसका खर्च कौन उठाए, और क्या परिवार के देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित करने से बोझ स्त्री-पुरुष के बीच बँट सकता है?
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण अधिकरणों के माध्यम से अपनी संतान या उत्तराधिकारियों से प्रतिमाह ₹10,000 तक भरण-पोषण पाने का अधिकार देता है। ● अनुच्छेद 41, जो एक नीति निदेशक तत्व है, राज्य से अपेक्षा करता है कि वह वृद्धावस्था, बीमारी और अशक्तता की दशा में लोक सहायता की व्यवस्था करे। ● वृद्धजनों की स्वास्थ्य सेवा का राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Health Care of the Elderly, NPHCE) 2010-11 में शुरू हुआ था।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) · जनसांख्यिकीय वृद्धावस्था और देखभाल अर्थव्यवस्था (Demographic ageing and the care economy) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

केस 1 — नई उत्तर-पुस्तिका: अनुशासन समिति, एक व्यथित छात्र और तीस ईमानदार सहपाठी

परिदृश्य (SCENARIO) द इकोनॉमिक टाइम्स (13 अक्टूबर, संपादकीय) के अनुसार IIT बॉम्बे ने अपनी अंतरिम परीक्षा की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में संशोधन किया है। यह संशोधन तब हुआ जब नकल करने के संदेह में पकड़े गए बीटेक द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। अब नकल के संदेह में आए छात्र को नई उत्तर-पुस्तिका दी जाती है और वह पर्चा पूरा करता है; निरीक्षक घटना का दस्तावेज़ बनाता है; छात्र अपना पक्ष दर्ज करा सकता है; विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति निर्णय लेती है; और तनाव भौंपने वाले शिक्षकों को परामर्शदाताओं को सचेत करना होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक इंजीनियरिंग संस्थान में उस समिति के अध्यक्ष हैं। तृतीय वर्ष का एक छात्र सत्रांत परीक्षा में हाथ से लिखे नोट्स के साथ पकड़ा गया है। यह उसका पहला दर्ज अपराध है। परामर्शदाता बताता है कि वह चिंतित है और सो नहीं पाया है। उसके सहपाठियों ने आपको लिखा है कि यदि वह उत्तीर्ण हो गया तो “ईमानदारी बेवकूफों का काम है”। उसके पिता आपसे कहते हैं कि “इस बार जाने दीजिए”।

प्रश्न 1. आप क्या दंड, यदि कोई हो, सुझाएंगे और किस आधार पर ?

प्रश्न 2. ईमानदार परीक्षार्थियों के साथ अन्याय किए बिना आप छात्र के कल्याण की रक्षा कैसे करेंगे ?

प्रश्न 3. भविष्य के मामलों के लिए आप प्रक्रिया में क्या बदलाव करेंगे ?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- पहले निष्पक्ष सुनवाई** — अभिलेख के आधार पर निर्णय लीजिए: निरीक्षक की रिपोर्ट, मिले हुए नोट्स और छात्र का अपना लिखित पक्ष। उसे व्यक्तिगत रूप से सुनिए, और वह चाहे तो परामर्शदाता को साथ रखिए। नैसर्गिक न्याय — दूसरे पक्ष को सुनना और निर्णय के कारण बताना — उसकी भी रक्षा करता है और संस्थान की भी।
- श्रेणीबद्ध और आनुपातिक दंड** — नकल सिद्ध होने का अर्थ है कि वह पर्चा रद्द होगा और उसमें अनुत्तीर्ण दर्ज होगा; ईमानदार तीस छात्रों का यह न्यूनतम हक है। पहला अपराध होने के कारण यहीं रुकिए और उसके शैक्षणिक अभिलेख में एक पत्र रखिए। निलंबन गंभीर या बार-बार के मामलों के लिए है। ET के संपादकीय का श्रेणीबद्ध मॉडल — चेतावनी, अभिलेख, फिर कठोर कदम — इस पर ठीक बैठता है।
- देखभाल साथ-साथ चले, दंड के बदले नहीं** — दंड और देखभाल दो अलग पटरियाँ हैं। निर्णय बताने से पहले परामर्शदाता को सूचित कीजिए; छात्र को यह निर्णय सूचना-पट्ट पर नहीं, निजी बैठक में सुनाइए; उसे बताइए कि अपील कैसे करनी है और वह पर्चा कैसे पास कर सकता है। मामले की चर्चा कक्षा में मत कीजिए। पिता के अनुरोध को विनम्रता से अस्वीकार कीजिए।
- निष्कर्ष** — जिस A की परीक्षा है: क्षमता (Ability) — यहाँ क्षमता का अर्थ तंत्र को सही बैठाना है: ऐसा दंड जो तीस ईमानदार छात्रों के लिए मर्यादा की रेखा थामे रखे, और ऐसी प्रस्तुति जो एक डरे हुए छात्र को न तोड़े।

केस 2 — कुंभ से पहले एक निजी प्रयोगशाला की रिपोर्ट: प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी और अंबड का पीला पानी

परिदृश्य (SCENARIO) द इंडियन एक्सप्रेस (13 अक्टूबर) के अनुसार नासिक के अंबड औद्योगिक क्षेत्र के पास नंदिनी नदी प्रणाली, जो गोदावरी में मिलती है, के पानी के नमूनों में कुल क्रोमियम 50.5 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला, जिसमें 50.3 मिलीग्राम हेक्सावैलेंट क्रोमियम है। पेयजल में क्रोमियम की BIS सीमा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर है। जाँच 3 अक्टूबर को एक निजी प्रयोगशाला ने की, और नमूने एक कार्यकर्ता तथा SANDRP ने एकत्र किए थे। नगरपालिका की आपूर्ति कम होने से निवासी बोरवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं; वे त्वचा पर घाव और चकत्तों की शिकायत करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हैं। पर्यावरण मंत्री ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। एक उद्योग संघ कहता है कि निजी जाँच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक वरिष्ठ अधिकारी आपसे कहता है कि 2027 के कुंभ से पहले “घबराहट मत फैलाइए”।

प्रश्न 1. क्या आपको एक निजी, कार्यकर्ता द्वारा करवाई गई रिपोर्ट पर कार्रवाई करनी चाहिए या सरकारी नमूना-जाँच की प्रतीक्षा ?

प्रश्न 2. अगले 72 घंटों में आप निवासियों और उद्योगों के लिए क्या करेंगे ?

प्रश्न 3. “घबराहट न फैलाने” के दबाव को आप कैसे सँभालेंगे ?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- जल्दी सत्यापन, पर लोगों की रक्षा अभी** — निजी रिपोर्ट किसी विशेष इकाई के विरुद्ध प्रमाण नहीं है, पर स्वास्थ्य के जोखिम पर कदम उठाने के लिए पर्याप्त है। आज ही अपनी टीम भेजकर बोरवेल, नालों और नदी के नमूने कानूनी अभिरक्षा-शृंखला (चेन ऑफ़ कस्टडी) की प्रक्रिया के अनुसार, मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला के लिए लीजिए। इस बीच नगर निगम से टैंकर से पानी भिजवाने और प्रभावित बोरवेलों को पीने के अयोग्य चिह्नित करने को कहिए।
- स्रोत खोजिए, फिर कानून का प्रयोग कीजिए** — अंबड के आसपास क्रोमियम का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों और उनके अपशिष्ट-जल शोधन की जाँच कीजिए। जहाँ सरकारी परिणाम निर्वहन की पुष्टि करें, वहाँ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)

अधिनियम, 1974 [Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974] की धारा 33क के अंतर्गत बोर्ड की शक्ति से बंदी या बिजली-पानी की आपूर्ति काटने का आदेश दीजिए, सुनवाई अभिलेख में दर्ज करके। अवैध इकाइयों पर भी उतनी ही सख्ती कीजिए जितनी लाइसेंसशुदा पर।

3. **पारदर्शिता घबराहट नहीं है** — सरकारी परिणाम निवासियों के लिए सरल सलाह के साथ सार्वजनिक कीजिए। स्वास्थ्य विभाग को सूचित कीजिए ताकि बताई जा रही बीमारियों की जाँच हो। कुंभ से पहले छिपाई गई समस्या कुंभ के दौरान, तीर्थयात्रियों के सामने फूटेली।
4. **निष्कर्ष** — जिस A की परीक्षा है: **गुमनामी (Anonymity)** — गुमनामी का अर्थ आयोजन की छवि की नहीं, बोर्ड के अधिदेश की सेवा करना है: आपकी नमूना-रिपोर्ट कुंभ की तैयारियों को असहज कर सकती है, फिर भी उस पर हस्ताक्षर होकर वह भेजी जानी चाहिए।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
IMD की चक्रवात निर्णय सहायता प्रणाली — dss.imd.gov.in	12 अक्टूबर को भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चक्रवात चेतावनी एवं समुद्री मौसम सेवा निर्णय सहायता प्रणाली (Decision Support System) राष्ट्र को समर्पित की। यह dss.imd.gov.in पर उपलब्ध एक वेबजीआईएस (WebGIS) मंच है, जिस पर चक्रवात का पथ, तीव्रता, हवा, वर्षा, तूफानी लहर (Storm Surge) और जलग्रहण क्षेत्र की वर्षा दिखती है। इसे द्विवार्षिक चक्रवात-पूर्व अभ्यास बैठक में शुरू किया गया, जो 2008 से होती आ रही है और चक्रवात के मानसून-उपरांत मौसम (अक्टूबर-दिसंबर) से पहले आयोजित होती है। यह तिथि अति प्रचंड चक्रवाती तूफानों फैलिन (2013) और हुदहुद (2014) के तट से टकराने की याद दिलाती है। IMD के महानिदेशक एम. मोहापात्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तीसरे उपाध्यक्ष हैं (PIB, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, 12 अक्टूबर)। नई दिल्ली स्थित IMD का क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र उत्तर हिंद महासागर के लिए चक्रवात संबंधी परामर्श जारी करता है और चक्रवातों के नाम रखता है।
अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन — नई दिल्ली में नया मुख्यालय	पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 12 अक्टूबर को नई दिल्ली के 55 लोधी एस्टेट में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन (International Big Cat Alliance, IBCA) के नए मुख्यालय परिसर का उद्घाटन किया। IBCA सात बड़ी बिल्लियों — शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा — के लिए संधि-आधारित अंतर-सरकारी संस्था है। भारत ने 2023-24 से 2027-28 के लिए ₹150 करोड़ देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके 29 सदस्य हैं, जिनमें भारत शामिल है; 5 पर्यवेक्षक हैं और 11 अन्य देशों ने जुड़ने की सहमति दी है। इसके महानिदेशक एस.पी. यादव हैं (PIB, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 12 अक्टूबर)। इस गठबंधन की शुरुआत भारत ने 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में की थी।
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान — पांच वर्ष पूरे	पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था। यह एकीकृत अवसंरचना नियोजन का जीआईएस-आधारित मंच है, जिसमें 58 केंद्रीय मंत्रालय एवं विभाग तथा सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। यह सात इंजनों पर टिका है: सड़क, रेलवे, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क एवं भूमि बंदरगाह तथा उड़ान (UDAN) इसमें समाहित हैं (PIB, 12 अक्टूबर)। हर विभाग की परियोजनाओं की परतों को एक ही मानचित्र पर रखकर बहु-माध्यमी नियोजन, अंतिम छोर तक संपर्क और मंजूरियों में देरी घटाना इसका लक्ष्य है।
SMILE-भिक्षावृत्ति — भीख माँगने में लगे व्यक्तियों के लिए उप-योजना	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की SMILE-भिक्षावृत्ति उप-योजना 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 216 शहरों में चल रही है; अब तक 45,073 व्यक्तियों की पहचान हुई है और 13,134 का पुनर्वास किया गया है। 'भिक्षावृत्ति मुक्त भारत — भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली की ओर' कार्यक्रम 14 अक्टूबर को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में प्रस्तावित है (PIB, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)। SMILE का पूरा नाम है — Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise (आजीविका एवं उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों को सहायता); इसकी दूसरी उप-योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए है।
CeNS बेंगलुरु — एक मेथिलीन इकाई से बदल जाती है पेप्टाइड की संरचना	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान, बेंगलुरु के नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र (CeNS) के वैज्ञानिकों ने दिखाया कि पेप्टाइड और पाइरीन इकाई के बीच केवल एक मेथिलीन ($-\text{CH}_2-$) स्पेसर जोड़ देने से अणुओं की संरचना-व्यवस्था (पैकिंग), उनकी सुपरमॉलिंक्यूलर कायरलता (जुड़ी हुई संरचना की हस्तता) और उनका प्रतिदीप्ति (फ्लोरोसेंस) गुण बदल जाता है। संभावित उपयोग जैव-संवेदन (बायोसेंसिंग), जैव-प्रतिबिंबन (बायोइमेजिंग) और प्रकाशिक पदार्थों में हैं। यह शोध रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की पत्रिका Polymer Chemistry में प्रकाशित हुआ (PIB, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय)।
बिम्स्टेक — पहली गृह मंत्रियों की बैठक	भारत 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली-ही बैठक की मेज़बानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका एजेंडा बताया: “आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, नशीले पदार्थों से जुड़े कट्टरपंथ, मानव तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह और साइबर खतरों” का मुकाबला करना (PIB, गृह मंत्रालय, 12 अक्टूबर)। बिम्स्टेक — बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) — की स्थापना 1997 की बैकॉफ घोषणा से हुई थी। इसके सात सदस्य हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड; इसका सचिवालय ढाका में है।
INS मंगरोल (P82) — मुंबई में नौसेना में शामिल	नौसेना ने 12 अक्टूबर को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में माहे-श्रेणी के तीसरे पनडुब्बी-रोधी युद्धक उथले जल के पोत (ASW-SWC), INS मंगरोल (P82), को कमीशन किया (10 अक्टूबर को इसे त्वरित तथ्य के रूप में दिया गया था; आज नई बात इसका कमीशन होना है)। कोचीन शिपयार्ड द्वारा 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बना यह पोत सोनार और हल्के टॉरपीडो से लैस है और बंदरगाहों तथा तटीय पहुँच-मार्गों

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	की रक्षा करेगा। माहे-श्रेणी के पोत उन अभय-श्रेणी के कार्वेट की जगह लेंगे जो 1989-91 में सेवा में आए थे। पोत का नाम जूनागढ़ के तटीय नगर मंगरोल पर रखा गया है; इससे पहले का INS मंगरोल (M85) एक माइनस्वीपर था (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 2; द हिंदू पृ. 14)।
होर्मुज़ जलडमरूमध्य — भारतीय चालक दल वाले टैंकर पर ड्रोन हमला	भारत ने 11 अक्टूबर को होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) क्षेत्र में दो जहाज़ों पर हुए हमलों की निंदा की। बताया गया कि MT PETRO DOLPHIN पर ड्रोन से हमला हुआ और उस पर सवार 11 भारतीय नाविकों में से दो लापता हैं; मार्शल द्वीप समूह के झंडे वाले MT VALTHERA में किसी अज्ञात प्रक्षेप्य के लगने से आग लग गई, और उस पर सवार सभी 11 भारतीय सुरक्षित हैं। मस्कट में भारतीय दूतावास ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेज़ाई से बात की (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 7)। यह जलडमरूमध्य फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
SIR — विपक्ष की ECI के अभिलेखों के लिए संयुक्त रिट याचिका	लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में संयुक्त रिट याचिका दायर की है, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान निर्वाचन आयोग की सामूहिक शक्तियों के “एकतरफ़ा और मनमाने प्रयोग” का आरोप लगाया गया है। वे आयोग की फ़ाइलें, कार्यवृत्त और निर्वाचन आयुक्तों की दर्ज आपत्तियाँ माँग रहे हैं; साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति से नाम हटाए जाने का लेखा-परीक्षण और हटाए गए नामों की कारणों सहित बृथवार सूची चाहते हैं। याचिका SIR की वैधता को दोबारा नहीं खोलती, जिसे न्यायालय ने 27 मई को Association for Democratic Reforms v. Election Commission of India में वैध ठहराया था (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 7)। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर की जाती है।
अनुच्छेद 348 — सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा	25 सितंबर को दायर एक जनहित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय की राजभाषा के रूप में हिंदी की सिफ़ारिश करने के लिए आयोग गठित करने की माँग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जाँयमाल्य बागची तथा बी. मोहना की पीठ ने ध्यान दिलाया कि भाषा-सुधार प्रशासनिक स्तर पर पहले से हो रहे हैं; न्यायमूर्ति मोहना ने कहा कि माँगी गई राहत के लिए संविधान संशोधन आवश्यक होगा (द हिंदू पृ. 9, संपादकीय पृष्ठ)। अनुच्छेद 348(1)(क): जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेज़ी में होंगी; ऐसी कोई विधि नहीं बनी है। अनुच्छेद 348(2): राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी या राज्य की राजभाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है, पर निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों के लिए नहीं। राजभाषा अधिनियम, 1963 (Official Languages Act, 1963) की धारा 7 प्राधिकृत अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ हिंदी या राज्य की भाषा में निर्णय देने की अनुमति देती है। न्यायालय का SUVAS सॉफ़्टवेयर निर्णयों का 16 भाषाओं में अनुवाद करता है।
IMF विश्व आर्थिक परिदृश्य — भारत का 2026-27 का अनुमान बढ़ाकर 7%	अपने नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य (World Economic Outlook) अनुमानों में IMF ने भारत की 2026-27 की वृद्धि दर का अनुमान जुलाई के 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है और 2026 में विश्व उत्पादन में 3.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 13)। WEO IMF का प्रमुख पूर्वानुमान प्रकाशन है, जो वर्ष में दो बार — अप्रैल और अक्टूबर में — छपता है, बीच में छोटे अद्यतन आते हैं; यह IMF की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Global Financial Stability Report) और राजकोषीय निगरानी (Fiscal Monitor) के साथ प्रकाशित होता है।
FSSAI — ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के लिए प्रस्तावित खाद्य नियम	FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजित पुन्हानी के अनुसार नियामक ई-कॉमर्स के लिए, जिसमें क्विक-कॉमर्स कंपनियाँ और क्लाउड किचन भी शामिल हैं, विशिष्ट विनियमों पर विचार कर रहा है, ताकि उपभोक्ता ऑर्डर देने से पहले निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और बैच संख्या देख सकें; उसने डार्क स्टोर्स का निरीक्षण शुरू कर दिया है। FSSAI ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफ़नामे में चीनी, नमक और संतृप्त वसा के लिए पैकेट के सामने लाल षट्कोणीय चेतावनी लेबल का प्रस्ताव भी रखा है (द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 8)। ये प्रस्ताव हैं, अधिसूचित नियम नहीं। FSSAI खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
GST — 1 अप्रैल 2027 से B2C ई-इनवॉइसिंग; गिरफ़्तारी की शक्ति हटेगी	व्यवसाय-से-उपभोक्ता (B2C) लेन-देन के लिए ई-इनवॉइसिंग 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगी, जिसमें राज्यों को GST नेटवर्क की सहायता मिलेगी (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 13)। आज B2B इनवॉइस इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल पर अपलोड होते हैं, जो एक विशिष्ट इनवॉइस संदर्भ संख्या (IRN) और QR कोड जारी करता है। इनवॉइस प्रबंधन प्रणाली भी 1 अप्रैल 2027 से अनिवार्य होगी है। GST परिषद ने CGST अधिनियम की धारा 69, जो गिरफ़्तारी का प्रावधान करती है, को हटाने और अभियोजन की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने की सिफ़ारिश की है; कुछ बदलावों के लिए संसद की मंजूरी चाहिए (द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 7)। आज नई बात B2C की तिथि है; आयातित सेवाओं के लिए ई-इनवॉइसिंग 12 अक्टूबर को त्वरित तथ्य थी।
सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना — विरोध प्रदर्शन और राज्य का सुरक्षा कानून	अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना, जो अभी पूर्व-व्यवहार्यता चरण में है और जिसका नियोजित जीवंत भंडारण 9.2 अरब घन मीटर है, के विरुद्ध विरोध जारी है। चार प्रदर्शनकारियों को अरुणाचल प्रदेश विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 2014 के

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	अंतर्गत हिरासत में लिया गया; स्थानीय आदि समुदाय को विस्थापन और पुरखों की भूमि खोने का भय है (7 अक्टूबर को कार्ड दिया गया था; आज नई बात हिरासतें हैं)। चीन ने दिसंबर 2024 में अपनी 60,000 मेगावाट की निचली यारलुंग त्सांगपो परियोजना को मंजूरी दी थी, और भारत तथा चीन ने 2002 में बाढ़-ऋतु के जलविज्ञान संबंधी आंकड़े चीन द्वारा साझा करने की व्यवस्था पर सहमति जताई थी (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 10)। सियांग तिब्बत की यारलुंग त्सांगपो ही है और असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है।
लक्षद्वीप — ULLAS के अंतर्गत 100% साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित	प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने 11 अक्टूबर को लक्षद्वीप को ULLAS-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 100% साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया; यह केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रारंभिक सर्वेक्षण में 1,113 निरक्षर वयस्क मिले थे; सभी पात्र शिक्षार्थियों ने बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT) उत्तीर्ण की, और जो केंद्रों तक नहीं पहुँच सके उनका मूल्यांकन उनके द्वार पर किया गया (द हिंदू पृ. 7)। ULLAS 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन लोगों के लिए वयस्क साक्षरता कार्यक्रम है जो स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए।
हेक्सावैलेंट क्रोमियम — BIS की सीमा और नासिक का भूजल	नासिक के अंबड औद्योगिक क्षेत्र के पास, गोदावरी में मिलने वाली नंदिनी नदी प्रणाली में, पानी की एक निजी प्रयोगशाला जाँच में कुल क्रोमियम 50.5 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला, जिसमें 50.3 मिलीग्राम हेक्सावैलेंट क्रोमियम है; जबकि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की पेयजल में क्रोमियम की सीमा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर है — यानी सीमा से 1,000 गुना से भी अधिक। पर्यावरण मंत्री ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई का निर्देश दिया है (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 5)। हेक्सावैलेंट क्रोमियम मनुष्यों के लिए ज्ञात कैंसरकारी पदार्थ है। BIS पेयजल की गुणवत्ता IS 10500 में तय करता है; राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 [Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974] लागू करते हैं।
‘भारत राइस’ — सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन	भारतीय सेना ने रक्षा कर्मियों के लिए ‘भारत राइस’ शुरू किया और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, ताकि परिचालन आपात स्थितियों में FCI के भंडारण, जनशक्ति और सामग्री-हस्तन उपकरणों का उपयोग हो सके। रक्षा विनिर्देशों पर खरा उतरने वाला चावल सीधे सेना के आपूर्ति डिपो को दिया जाएगा; इस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुरू किया (द हिंदू पृ. 14)। खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत स्थापित FCI सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण करता है।
राज्यपाल — राष्ट्रपति द्वारा छह बदलाव	राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह राज्यों में राज्यपाल बदले हैं: आर.वी. आर्लेकर तमिलनाडु के पूर्णकालिक राज्यपाल बने हैं; ओम प्रकाश माथुर सिक्किम से केरल गए हैं; सुधा यादव कर्नाटक, ब्रज मोहन राम ओडिशा, ढल सिंह बिसेन उत्तराखंड और दुष्यंत गौतम सिक्किम भेजे गए हैं (द हिंदू पृ. 14; द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 10)। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करता है; अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, सामान्यतः पाँच वर्ष के लिए।
लीज़न ऑफ़ ऑनर — सुनील भारती मित्तल को	फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत-फ़्रांस आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए सुनील भारती मित्तल को नेशनल ऑर्डर ऑफ़ द लीज़न ऑफ़ ऑनर (Légion d'honneur) का शेवेलियर (नाइट) बनाने जा रहे हैं (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 13)। 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्थापित लीज़न ऑफ़ ऑनर फ़्रांस का सर्वोच्च सम्मान-क्रम है, जो नागरिक और सैन्य सेवा के लिए दिया जाता है; शेवेलियर इसके तीन दर्जों में पहला है (उसके बाद ऑफ़िसिए और कमांडर), जिनसे ऊपर दो गरिमाएँ (ग्रां-ऑफ़िसिए और ग्रां-क्रोआ) हैं।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू (मुंबई), द इंडियन एक्सप्रेस (मुंबई) और द इकोनॉमिक टाइम्स (मुंबई) — 13 अक्टूबर 2026 से ली गई हैं, जहाँ संकेतित है वहाँ आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरक तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

रोज़ का वह हिस्सा जो अखबार नहीं देते: एक पूरा लिखा आदर्श उत्तर, GS1 का एक स्थायी विषय, मानचित्र अभ्यास, GS4 का एक सैद्धांतिक शब्द और CSAT का अभ्यास।

11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 2.1 (15 अंक, 250 शब्द)

खाद्य आपूर्ति के झटकों से उपजी महँगाई को मौद्रिक नीति किस सीमा तक नियंत्रित कर सकती है? सितंबर 2026 के भारत के CPI आँकड़ों के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

भूमिका — सितंबर 2026 में खुदरा महँगाई अगस्त के 4.83% से बढ़कर 5.54% हुई, लक्ष्य (4%) से लगातार चौथे महीने ऊपर। खाद्य महँगाई 7.74% और प्याज़ के दाम 108% उछले। आँकड़े रेपो दर की सीमा व उपयोगिता दोनों दिखाते हैं।

- 1. रेपो दर आपूर्ति-झटके का इलाज नहीं** — वृद्धि के 71 आधार अंकों में 62 खाद्य के थे (ICRA)। कारण: कमज़ोर मानसून, नई फ़सल से पहले पुराना प्याज़-भंडार ख़त्म। महँगा क़र्ज़ माँग घटाता है, प्याज़ उगा नहीं सकता।
- 2. पर झटके को फैलने से रोकती है** — कोर महँगाई 4.1% से 4.3% हुई, 12 में 11 श्रेणियों में तेज़ी आई, और महँगी रसोई गैस से रेस्तराँ-महँगाई 9.39% पहुँची। फ़र्में दाम दोबारा तय करें तो खाद्य झटका सामान्य महँगाई बनता है। अक्टूबर में रेपो को 5.50% करना इसी दूसरे चक्र और अपेक्षाओं को साधता है, जो वुडफ़ोर्ड के नोबेल-विजेता शोध का सार है।
- 3. दरों की कीमत भी है** — नीति का असर देर से आता है; अति-सख्ती उधारकर्ताओं और वृद्धि को चोट देती है। ग्रामीण महँगाई (6.08%) शहरी (4.88%) से ऊपर है; रेपो दर जो भी हो, बोझ गरीब उठाते हैं।
- 4. बाकी काम आपूर्ति के उपाय करें** — मूल्य स्थिरीकरण कोष से प्याज़ का बफ़र भंडार, पूर्वानुमेय व्यापार नीति, ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत भंडारण-प्रसंस्करण: ये लक्षण नहीं, कारण संबोधित करते हैं।

निष्कर्ष — मौद्रिक नीति खाद्य-जनित महँगाई को केवल आंशिक थाम सकती है: दाम घटा नहीं सकती, पर उन्हें आदत बनने से रोक सकती है। लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में MPC कोर महँगाई और अपेक्षाओं पर नज़र रखे, केंद्र-राज्य आपूर्ति सुधारे, क्योंकि गरीब दर-चक्र का इंतज़ार नहीं कर सकते।

यह बनाइए: पहले बिंदु के पास प्रवाह-चित्र: कमज़ोर मानसून → घटी आपूर्ति → महँगा खाद्य → (यहाँ रेपो दर असर करती है) कोर कीमतों पर दूसरे चक्र के असर।

(247 शब्द)

11.2 GS1 कोना — इतिहास: जंतर मंतर, दिल्ली: सवाई जयसिंह द्वितीय की चिनाई के यंत्रों वाली वेधशाला

आज का संदर्भ: 1.2

- 1. मुगलों के अधीन एक राजपूत खगोलविद-राजा का निर्माण** — जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय (1699-1743) ने भारतीय और पश्चिमी खगोल-विद्या का अध्ययन किया था। परंपरा 1710 बताती है, पर ASI 1724 को अधिक मान्य मानता है: जयसिंह ने कहा था कि उन्होंने इसे सम्राट मुहम्मद शाह के आदेश पर बनवाया, जो 1719 में गद्दी पर बैठे थे।
- 2. यंत्र, दूरबीन नहीं** — ईंट और चूने के बने ये यंत्र सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के नग्न-नेत्र प्रेक्षण के काम आते थे। सम्राट यंत्र त्रिकोणीय शंकु वाली विषुवतीय धूप-घड़ी है; जय प्रकाश में दो अवतल अर्धगोले हैं; राम यंत्र उन्नतांश और दिगंश नापता है; मिश्र यंत्र चार यंत्रों को एक में जोड़ता है (ASI)।
- 3. पाँच में से एक, अब विरोध-प्रदर्शन का प्रतीक** — जयसिंह ने जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी वेधशालाएँ बनवाई; मथुरा की अब नहीं बची। जयपुर का जंतर मंतर 2010 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। दिल्ली की वेधशाला के पास की सड़क राजधानी का सबसे जाना-माना धरना-स्थल बनी, जो अब अधिसूचना-मुक्त है।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

- सवाई जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में वेधशालाएँ बनवाई (ASI)।
- जयपुर का जंतर मंतर 2010 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित हुआ।
- सम्राट यंत्र त्रिकोणीय शंकु वाली विषुवतीय धूप-घड़ी है।

11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
अदीस अबाबा (Addis Ababa)	भूमि से घिरे इथियोपिया की राजधानी, अफ्रीका का सींग क्षेत्र, इथियोपियाई उच्चभूमि पर; पड़ोसी देशों में इरीट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या और सूडान हैं।	IPCC के सदस्य देश वहाँ पूर्ण अधिवेशन में मिले, जो सातवें आकलन की समय-सारणी पर गतिरोध में फँस गया (5.1)।	अदीस अबाबा में अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है।

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
बिलीगुंडलू (Biligundlu)	कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर कावेरी नदी पर, तमिलनाडु के मेट्टूर बांध से ऊपर की ओर।	तमिलनाडु ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि 6 अक्टूबर तक बिलीगुंडलू पर कर्नाटक पर कावेरी जल के 11.719 tmc ft बकाया थे (3.1)।	सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के कावेरी निर्णय ने सामान्य वर्ष में बिलीगुंडलू पर कर्नाटक का जल-निस्सरण 177.25 tmc ft तय किया।
तिरुपुर (Tirupur)	पश्चिमी तमिलनाडु में, कोयंबटूर के पूर्व में, कावेरी की सहायक नदी नोय्यल पर।	गोयल ने CETA के अंतर्गत उत्पत्ति के नियमों की सरल भाषा वाली मार्गदर्शिकाएँ माँगते हुए तिरुपुर की इकाइयों का हवाला दिया (4.1)।	तिरुपुर बूना हुआ वस्त्र और सूती मोज़ा-बनियान के निर्यात का भारत का अग्रणी समूह (क्लस्टर) है।
नासिक (Nashik)	उत्तरी महाराष्ट्र में, गोदावरी पर, पश्चिमी घाट में उसके उद्गम त्र्यंबकेश्वर के पास।	प्रकरण 2: कुंभ से पहले अंबड औद्योगिक क्षेत्र के पास प्रदूषित पानी।	नासिक प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन के साथ कुंभ मेले के चार स्थलों में से एक है।

11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): करुणा से संयमित निष्पक्षता (Impartiality tempered by compassion)

अर्थ — निष्पक्षता सबके लिए बिना पक्षपात एक ही नियम लागू करती है; करुणा उस व्यक्ति की परवाह करती है जो उस नियम के नीचे पीड़ित होता है। दोनों में टकराव तभी होता है जब करुणा निर्णय को ही बदल दे, उसे सुनाने के ढंग को नहीं।

आज के समाचार में — प्रकरण 1: नक़ल करते पकड़े गए छात्र को तीस ईमानदार सहपाठियों के हित में समिति को अनुत्तीर्ण करना ही होगा, जबकि एक परामर्शदाता साथ खड़ा रहता है और निर्णय सूचना-पट्ट पर नहीं, निजी तौर पर सुनाया जाता है।

उत्तर में उपयोग — अनुशासन या कल्याण संबंधी केस स्टडी में: पहले सब पर समान रूप से लागू नियम बताइए, फिर दिखाइए कि करुणा निर्णय के सुनाए जाने के ढंग को कैसे गढ़ती है।

11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

नीचे का अनुच्छेद मौलिक है, आज के एक संपादकीय के विषय पर। पहले उत्तर स्वयं चुनें, फिर अंत में उत्तर-कुंजी देखें।

जब बारिश धोखा दे जाती है, तो सरकारें आमतौर पर नुक़सान खेत-दर-खेत नापती हैं। अधिकारी हर भूखंड पर खोई फ़सल दर्ज करता है, और राहत उसे दी जाती है जिसका नाम भू-अभिलेख में है। यह तरीका सुव्यवस्थित है और इसमें हेराफेरी कठिन है, क्योंकि हर रुपया किसी पंजीकृत ज़मीन के टुकड़े तक खोजा जा सकता है।

फिर भी भू-अभिलेख यह बताता है कि खेत का मालिक कौन है, यह नहीं कि उसे जोतता कौन है। कई गाँवों में जिसने हल चलाया, बीज के लिए उधार लिया और फ़सल को मुरझाते देखा, वह मौखिक पट्टे पर खेती करने वाला बटाईदार होता है। एक और व्यक्ति फ़सल नहीं, एक मौसम की मज़दूरी गँवाता है, क्योंकि काटने को कुछ बचा ही नहीं। दोनों में से कोई रजिस्टर में नहीं है, इसलिए किसी को भुगतान नहीं मिलता, जबकि हो सकता है दोनों ने मालिक से अधिक गँवाया हो।

सामान्य बचाव यह दिया जाता है कि बिना अभिलेख वालों को भुगतान करना धोखाधड़ी को न्योता देना है। यह चिंता वास्तविक है। जो सरकार केवल दावे पर नक़द बाँट दे, वह जल्दी ही ऐसे सूखों का भुगतान करने लगेगी जो कभी पड़े ही नहीं। परंतु यह बचाव जितना लगता है, उससे कम सिद्ध करता है। यह दिखाता है कि राहत के लिए सत्यापन-योग्य सूची चाहिए; यह नहीं दिखाता कि भू-अभिलेख ही एकमात्र संभव सूची है। बटाईदारी का पंजीकरण हो सकता है, और ग्रामीण रोज़गार योजनाओं में किया गया काम पहले से दर्ज रहता है।

गहरी समस्या यह है कि राहत-व्यवस्थाएँ भुगतान करने वालों की सुविधा के लिए रची जाती हैं, पीड़ितों की ज़रूरत के लिए नहीं। जो व्यवस्था जाँचने में आसान हो पर सबसे गरीब को छोड़ दे, वह केवल कागज़ पर कुशल है। सूखा-राहत की कसौटी यह नहीं कि हिसाब कितनी सफ़ाई से बंद होता है, बल्कि यह है कि जिन परिवारों का सबसे अधिक नुक़सान हुआ, क्या वे अगले मौसम के लिए अनाज और बीज ख़रीद पाते हैं।

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गद्यांश के केंद्रीय भाव को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है ?

- सूखा-राहत समाप्त कर देनी चाहिए क्योंकि वह धोखाधड़ी को न्योता देती है।
- केवल भू-अभिलेखों से जुड़ी राहत उन बहुतों को छोड़ देती है जिनका सबसे अधिक नुक़सान होता है, और सत्यापन-योग्य विकल्प मौजूद हैं।
- सूखे में बटाईदारों और मज़दूरों की तुलना में भू-स्वामी अधिक पीड़ित होते हैं।
- सूखा-राहत की जगह ग्रामीण रोज़गार योजनाएँ ले लें।

Q2. धोखाधड़ी की आशंका पर लेखक की प्रतिक्रिया यह है कि

- सूखा-राहत में धोखाधड़ी काल्पनिक है।
- धोखाधड़ी वास्तविक है, पर उसके लिए सत्यापन-योग्य सूची चाहिए, ज़रूरी नहीं कि भू-अभिलेख ही।

- (c) सूखे के दौरान लेखा-परीक्षा बंद कर देनी चाहिए।
 (d) नुकसान की सूचना देने के लिए केवल मालिकों पर भरोसा किया जा सकता है।

Q3. निम्नलिखित में से कौन-सी गद्यांश में निहित धारणा है ?

- (a) हर बटाईदार के पास लिखित पट्टा होता है।
 (b) बटाईदारी को ऐसे रूप में दर्ज किया जा सकता है जिसे राज्य सत्यापित कर सके।
 (c) भू-स्वामी सूखे में कभी नुकसान नहीं उठाते।
 (d) राहत बिना किसी जाँच के दी जानी चाहिए।

तर्कशक्ति और गणित

Q4. एक महीने में महँगाई 71 आधार अंक बढ़ी, जिसमें खाद्य का योगदान 62 आधार अंक था। वृद्धि में खाद्य का हिस्सा लगभग किसके निकटतम है ?

- (a) 62%
 (b) 71%
 (c) 87%
 (d) 91%

Q5. कथन : सूची P के सभी तालुक सूखा-प्रभावित हैं। कुछ सूखा-प्रभावित तालुकों को राहत मिलती है। निष्कर्ष : I. सूची P के कुछ तालुकों को राहत मिलती है। II. कुछ सूखा-प्रभावित तालुकों को राहत नहीं मिलती। कौन-सा निष्कर्ष निकलता है ?

- (a) केवल I
 (b) केवल II
 (c) I और II दोनों
 (d) न I, न II

उत्तर-कुंजी और व्याख्या

Q1: (b) भू-अभिलेख बटाईदारों और मज़दूरों को बाहर रखते हैं, और अन्य सत्यापन-योग्य सूचियाँ मौजूद हैं; विकल्प 4 अतिवादी है: योजनाओं का उल्लेख केवल अभिलेख के रूप में हुआ है।

Q2: (b) लेखक चिंता को “वास्तविक” कहता है, पर कहता है कि बचाव “जितना लगता है उससे कम सिद्ध करता है”; विकल्प 1 लेखक के अपने शब्दों के विपरीत है।

Q3: (b) प्रस्तावित विकल्प तभी काम करेगा जब बटाईदारी सत्यापित की जा सके; विकल्प 1 मौखिक पट्टों के उल्लेख से मेल नहीं खाता।

Q4: (c) $62 \div 71 \approx 0.873$, यानी लगभग 87%; 62% में आधार अंक को हिस्से के साथ गड़बड़ा दिया गया है।

Q5: (d) राहत पाने वाले तालुक सभी P से बाहर हो सकते हैं, इसलिए I नहीं निकलता। “कुछ को राहत मिलती है” से यह नहीं कटता कि सभी को मिलती है, इसलिए II भी नहीं निकलता।

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 · निबंध · खंड क · 7 मिनट पठन (min read)

लोग जिसकी अपेक्षा करते हैं, उसे घटित कराने में स्वयं हाथ बँटाते हैं।

विषय (Themes): अपेक्षाएँ केवल भविष्य का पूर्वानुमान नहीं हैं; करोड़ों लोग जब उन पर अमल करते हैं, तो वे स्वयं भविष्य का एक कारण बन जाती हैं। इसीलिए विश्वसनीयता एक सार्वजनिक संपदा है: जो संस्था अपना वचन निभाती है, वह एक वाक्य से भीड़ को थाम सकती है। अपेक्षाएँ यथार्थ का स्थान नहीं ले सकतीं: शब्द तभी चलते हैं जब कर्म उनके पीछे हों, और सबसे गरीबवादों पर जीवित नहीं रह सकते।

सितंबर में भारत की किसी मंडी में प्याज़ साल भर पहले के दाम से दोगुने से भी महंगा बिका। खुदरा महंगाई बढ़कर 5.54% हो गई, जो रिज़र्व बैंक के 4% के लक्ष्य से लगातार चौथे महीने ऊपर है। कारण रहस्यमय नहीं है: कमज़ोर मानसून, और नई फ़सल आने से पहले पुराने भंडार का चुक जाना। फिर भी मौद्रिक नीति समिति (MPC) दिसंबर में व्याज दर बढ़ाने पर विचार कर रही है, जबकि कोई व्याज दर आज तक एक प्याज़ भी नहीं उगा सकी। तब कार्रवाई क्यों? क्योंकि असली ख़तरा आज का प्याज़ नहीं, कल का विश्वास है। यदि दुकानदार, मज़दूर और रेस्तराँ-मालिक ऊँचे दामों की अपेक्षा करने लगे, तो वे ऊँचे दाम ही तय करेंगे, और अपेक्षा स्वयं को सच कर देगी। यह निबंध तर्क देता है कि लोग जिसकी अपेक्षा करते हैं, उसे घटित कराने में स्वयं हाथ बँटाते हैं; कि इससे विश्वसनीयता को सार्वजनिक संपदा का मूल्य मिल जाता है; और यह कि अपेक्षाएँ, अपनी तमाम शक्ति के बावजूद, कर्म का विकल्प नहीं बन सकतीं।

समाजशास्त्र में यह विचार पुराना है। 1928 में विलियम और डोरोथी थॉमस ने एक वाक्य लिखा, जिसे विद्यार्थी आज भी थॉमस प्रमेय के रूप में पढ़ते हैं: “If men define situations as real, they are real in their consequences” अर्थात् यदि मनुष्य परिस्थितियों को वास्तविक मान लें, तो उनके परिणाम वास्तविक हो जाते हैं। बीस वर्ष बाद रॉबर्ट मर्टन ने इसे नाम दिया, स्वयं-पूर्ण भविष्यवाणी (Self-fulfilling Prophecy), और ऐसा उदाहरण दिया जिसे सब समझ सकते हैं। एक स्वस्थ बैंक के बारे में अफ़वाह उड़ती है कि वह डूब रहा है। जमाकर्ता निकासी के लिए दौड़ पड़ते हैं। कोई भी बैंक अपनी सारी जमा राशि नक़द नहीं रखता, इसलिए यह दौड़ ही बैंक को तोड़ देती है। अफ़वाह जब शुरू हुई तो झूठी थी, जब ख़त्म हुई तो सच। किसी ने झूठ नहीं बोला; हर जमाकर्ता ने दूसरों के संभावित व्यवहार का अनुमान लगाकर समझदारी से काम किया।

अर्थशास्त्र को इसे गंभीरता से लेने में अधिक समय लगा, और इसी सप्ताह उसने इस विचार को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। 12 अक्टूबर को अर्थशास्त्र का नोबेल रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफ़ोर्ड को मिला, उन मॉडलों के लिए जो पूरी अर्थव्यवस्था को इस आधार पर खड़ा करते हैं कि परिवार और फ़र्म वास्तव में निर्णय कैसे लेते हैं। हॉल ने दिखाया कि किसी परिवार का खर्च इस पर लगभग उतना ही निर्भर करता है कि वह भविष्य में कितना कमाने की अपेक्षा रखता है, जितना इस पर कि वह आज कितना कमाता है। वुडफ़ोर्ड ने दिखाया कि फ़र्म आगे देखकर दाम तय करती हैं, इसलिए भावी व्याज दरों से उनकी अपेक्षाएँ आज की महंगाई को आकार देती हैं। 2005 के एक व्याख्यान में उन्होंने इसे दो-टुक कहा: “not only do expectations about policy matter, but, at least under current conditions, very little else matters” अर्थात् नीति के बारे में अपेक्षाएँ ही नहीं, कम से कम मौजूदा परिस्थितियों में, उनके सिवा बहुत कम चीज़ें मायने रखती हैं।

एक बार दृष्टि मिल जाए तो यह पैटर्न हर जगह दिखता है। सितंबर के आँकड़े इसे काम करते दिखाते हैं: रेस्तराँ और कैफ़े सूचकांक, जो फ़रवरी में 2.73% बढ़ा था, सितंबर में 9.39% बढ़ा क्योंकि रसोई गैस महंगी हुई। मेन्यू और किराए-सूचियाँ एक बार दोबारा छुप जाएँ, तो खाद्य झटका सामान्य महंगाई बन जाता है, और कोर महंगाई 4.1% से बढ़कर 4.3% हो भी चुकी है। मुद्राएँ भी इसी तरह बर्ताव करती हैं। जब सब रुपये के गिरने की अपेक्षा करते हैं, तो हर आयातक के लिए डॉलर जल्दी ख़रीद लेना तर्कसंगत है, और सब मिलकर रुपये को नीचे धकेल देते हैं; इसीलिए RBI ने इसी माह बड़े विदेशी मुद्रा अनुबंधों पर आरक्षित निधि की अनिवार्यता लगाई। कक्षाओं में भी यही दिखता है। 1968 में रॉबर्ट रोसेन्थल और लेनोर जैकबसन ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को शिक्षकों को ‘खिलने वाले’ मानने के लिए प्रेरित किया गया, उन्होंने बड़ी प्रगति की। बाद के शोध में प्रभाव आरंभिक दावे से छोटा निकला, पर कम ही शिक्षक इससे इनकार करेंगे कि जिस बच्चे से विफलता की अपेक्षा की जाती है, उसके कंधों पर एक बोझ और आ जाता है।

यदि अपेक्षाएँ कारण हैं, तो जो उन्हें स्थिर कर सकता है, उसके हाथ में एक चुपचाप काम करने वाली शक्ति है। भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्य का तर्क यही है। 2016 से RBI अधिनियम केंद्र से अपेक्षा रखता है कि वह RBI से परामर्श करके हर पाँच वर्ष के लिए लक्ष्य तय करे; यह 2 से 6% के दायरे में 4% है, जिसे इसी मार्च में 2026 से 2031 के लिए नवीनीकृत किया गया। क़ानून में लिखी संख्या एक वचन है। लोग उसे मान लें, तो प्याज़ का बुरा मौसम बुरा मौसम ही रहता है: मज़दूर इस तरह माँग नहीं करते और दुकानदार इस तरह दाम नहीं

वसूलते मानो ऊँचे दाम स्थायी हों। जिस केंद्रीय बैंक ने अपना वचन निभाया है, वह कभी-कभी एक वाक्य से बाज़ार को शांत कर देता है। जिसने नहीं निभाया, उसे वही नतीजा पाने के लिए कहीं भारी औज़ार चलाने पड़ते हैं, और इस अंतर की क्रीम गरीब खोई नौकरियों और महँगे क़र्ज़ के रूप में चुकाते हैं।

यह बात अर्थशास्त्र से परे भी सच है। जिस सरकार की योजनाएँ घोषणा के अनुसार पहुँचती हैं, उसके नागरिक उन्हें आधार बनाकर योजना बनाते हैं; जिसके वादे व्यर्थ हो जाते हैं, वह नागरिकों को हर घोषणा को कम करके आँकना सिखा देती है। जो क़ानून आशाएँ जगाए और फिर अदालत में टिक न सके, वह न बनाए जाने से कहीं अधिक कड़वाहट छोड़ जाता है; कर्नाटक का 2022 का अधिनियम, जिसने आरक्षण 56% तक बढ़ाया और जिसे इसी सप्ताह उच्च न्यायालय ने 50% की सीमा लाँघने के कारण रद्द कर दिया, यह याद दिलाता है कि वादे को निभाए जाने से पहले संविधान की कसौटी पर खरा उतरना होगा। विश्वसनीयता धीरे-धीरे बनती है, उन छोटे वादों को निभाकर जिन्हें तोड़ देना आसान होता, और बहुत जल्दी ख़र्च हो जाती है।

इसका एक गंभीर प्रत्युत्तर है। अपेक्षाएँ जादू नहीं हैं। किसी विश्वास ने आज तक सूखे खेत में बारिश नहीं करवाई, और कितनी भी आत्मविश्वास भरी बातें फ़सल कटने से पहले मंडी में प्याज़ नहीं पहुँचा देंगी। यदि आपूर्ति का झटका वास्तविक है, तो ईमानदार उत्तर भंडारण, परिवहन और आयात है, भाषण नहीं। इससे भी बुरा यह कि 'अपेक्षाओं के प्रबंधन' की भाषा समाचार के प्रबंधन का बहाना बन सकती है: बुरे आँकड़ों को सजाना, आलोचकों को चुप कराना, और आशावाद को नीति समझ लेना। फिर यह मानकर चला जाता है कि जनता आगे की योजना बनाती है। हॉल के अपने आलोचक कहते हैं कि रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाले परिवार कल की आय के भरोसे ख़र्च नहीं कर सकते; वे आज की आय पर जीते हैं। ग्रामीण महँगाई 6.08% पर शहरी 4.88% से काफ़ी ऊपर है, और कोई फ़ॉरवर्ड गाइडेंस भूमिहीन मज़दूर के लिए इसे हल्का नहीं करता।

इनमें से हर आपत्ति सही है, और कोई भी स्थापना को परास्त नहीं करती; वे उसकी सीमाएँ तय करती हैं। अपेक्षाएँ परिणामों को उतना ही आकार देती हैं जितना भौतिक संसार अनुमति देता है, इसीलिए गोदामों और शीत-शृंखलाओं का धीमा काम ब्याज दर जितना ही मायने रखता है। अपेक्षाएँ सच से स्थिर होती हैं, प्रचार से नहीं: जो केंद्रीय बैंक बुरी ख़बर छिपाता है, वह उसी विश्वसनीयता को खो देता है जिसने उसके शब्दों को वज़न दिया था। और चूँकि गरीब विश्वास के जमने का इंतज़ार नहीं कर सकते, इसलिए जब झटके उन पर पड़ें जिनके पास सहने की गुंजाइश सबसे कम है, तब विश्वसनीयता के साथ प्रत्यक्ष मदद, जैसे खाद्य बफ़र और नक़द अंतरण, भी चाहिए। सबक यह नहीं कि 'काम की जगह बातें करो', बल्कि यह कि 'ऐसे काम करो जिन पर लोग विश्वास कर सकें, और साफ़ बताओ कि क्या करोगे'।

लोग जिसकी अपेक्षा करते हैं, उसे घटित कराने में स्वयं हाथ बँटाते हैं। एक अफ़वाह बैंक डुबो सकती है, नीची अपेक्षा किसी बच्चे को रोक सकती है, और दाम बढ़ते रहने का विश्वास उन्हें सचमुच बढ़ा सकता है। पर यही शक्ति उलटी दिशा में भी काम करती है। साल-दर-साल निभाया गया वादा वह नींव बन जाता है जिस पर करोड़ों लोग चुपचाप अपने जीवन की योजना बनाते हैं। इस वर्ष का नोबेल उन अर्थशास्त्रियों का सम्मान है जिन्होंने दिखाया कि भविष्य कुछ हद तक इस बात से बनता है कि हम उसके बारे में क्या मानते हैं। संस्थाओं का कार्य है उस विश्वास के योग्य बनना: वही कहना जो वे कर सकें, और जो कहा है, वही करना।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards):

आज का आईना — पत्रिका बंद करने से पहले दो मिनट

दर्पण का अर्थ है आईना। आज की पत्रिका बंद करने से पहले उसे अपने सामने रखिए। उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए — तीन पंक्तियाँ काफी हैं।

1. अगर आज की सबसे बड़ी खबर — “कर्नाटक उच्च न्यायालय ने SC/ST आरक्षण को बढ़ाकर 56 प्रतिशत करने वाला 2022 का अधिनियम रद्द किया” — में आप ज़िलाधिकारी होते, तो आपका पहला क़दम क्या होता, और आप सबसे पहले किससे मिलते ?

2. आज किस खबर को आपने पहली बार दूसरे पक्ष से देखा ? जिस तर्क से आप असहमत थे, उसका सबसे मज़बूत रूप लिखिए।

3. सादगी समय की भी होती है। आज आपने समय कहाँ बचाया, और कहाँ गँवाया ?

क्षमता, गुमनामी, सादगी — हर दिन एक छोटा क़दम। And we shall become, my man.